मामले सिविल एरिया कमेटी के पास होने चाहिए थे, इलैक्टिड रिप्रिजैंटेटिव्ज के पास होने चाहिए थे लेकिन किसी न किसी बहाने इन पावर्ज को कंटोनमेंट्स में आर्मी के पास ही रहने दिया गया है, सैंट्रल कमांड के पास रखा गया है। यह उचित नहीं है। जब आप सिविल एरिया कमेटी को यह पावर देंगे तब जाकर आप वहां के लोगों की जो आवश्यकतायें हैं, उनकी जो मनोभावनायें हैं, उनकी पूर्ति कर पायेंगे।

सरकार ने इसमें कार्यकाल जरूर बढ़ाया है जो स्वागत योग्य कदम है। इसमें वाइस प्रेजीडेंट का टैन्यौर ढाई साल रखा गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता। जितना कार्यकाल बोर्ड का हो उतना ही वाइस प्रेजीडेंट का भी होना चाहिए। इसको बढ़ाकर पांच साल करने की आवश्यकता है। आप ढाई साल का रखते हैं। लेकिन इस प्रकार की प्रथा और किसी भी डैमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में नहीं है, न म्यूनिसिपैलिटीज में है और न ही विधान सभाओं में है। संसार में कहीं भी नहीं है। इसको कंटोनमेंट्स में लागू करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य सरकारों को इसमें देने की बात कही गई है। सारे नियम वहां की सिविल पापुलेशन के ऊपर केन्द्रीय सरकार के और आर्मी की आवश्यकताओं को देखते हुए आप लागू करते हैं। लोकल लोगों की जो बेसिक नीड्ज हैं उनको पूरा करने का दायित्व कंटोनमेंट्स को ही लेना चाहिए। उसको भारत सरकार को ही लेना चाहिए। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को पहली की तरह कंटोनमेंट के पास रहना चाहिए।

16.00 hrs.

MR. CHAIRMAN : Now, the time is up. Mr. Harish Rawat, you can continue tomorrow. We have a discussion under Rule 193 to be taken up now. So, I call upon Mr. Ratansinh Rajda to initiate the discussion. I think he is not available in the House. Then Mr. Ram Swarup Ram may take the floor.

16.01 hrs.

DISCUSSION RE : PROBLEMS OF AGRICULTURAL LABOUR.

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, अपनी कुछ बात कहने के पूर्व में चेयर को बधाई देना चाहता हूं कि आपने खेतिहर मजदूरों के सवाल पर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करने का मुझे सुअवसर दिया है। भारत गांवों का देश है और यहां की 80 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है। जब भी खेती की बारी आती है, या एग्रीकल्चर पर डिस्कशन होता है तो किसान की परिभाषा इस सदन में बार बार आती रही है। लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं कि खेती में काम करने वाली जो मैनपावर है जिस पर सारे देश की ऐग्रो इकोनामी निर्भर करती है उसको अपनी आंखों से ओझल कर देते हैं और उस समय उसको किसान की परिभाषा में हम शामिल करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज देश की जो ऐग्रो इकोनामी है उसका 43 परसेंट खेती में काम करने वाले ऐग्रीकल्चर लेबर हैं और वह किसको कहते हैं यह ऐग्रीकल्चर लेबर इंडिया की सैकेन्ड इनक्वायरी रिपोर्ट में दिया हुआ है। उसमें कहा गया है :

The Report of the Second Enquiry says like this :

> "Housing is one of the important indicators of the standard of living. The standard of rural housing, not to speak of the housing conditions of agricultural labourers who are at the lowest rung of the social ladder, is vividly brought out in the following paragraph."

ऐग्रीकल्चर लेबर की जब कंसेप्ट पर जाते हैं तो इस पैराग्राफ को पढ़ने से साफ जाहिर हो जाता है कि एग्रीकल्चर लेबर किसे कहते हैं :

"The village houses do offer some sort of shelter against sun and rain to dwellers but they have no latrines, no protected water supply and no public cleansing. Men and cattle live in close proximity ; mosquitoes and flies swarm ; and rats abound in the huts and hovels.....The interior of the house is generally clean but the surroundings are dirty. The village pond is green with alagae and is constantly polluted. The river is also used for all purposes. The soil is polluted. The village school is noisy, poorly furnished, and often devoid of urinals, latrines and drinking water. Hospitals and dispensaries are miles away, badly built, ill-equipped and inaccessible to the sick.

16.05 hrs.

(SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

"The village market is held on the open ground which is sodden in rains. Public eating houses are common, but an insanitary tea or coffee house is easily found."

एक ओर हिन्दुस्तान की यह तस्वीर है और एक ओर किसानों के सवाल पर, जिनकी 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है, जब कि सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि कोई भी 18 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, लेकिन उन्होंने फर्जी नाम से 400-400 एकड़ जमीन बचाई है, बारबार यह सदन उसी बात को कहे कि उनके प्राइस बढ़ने चाहिएं, उनके लिए डीजल का इन्तजाम होना चाहिए, यह कहां तक उचित है ?

मैं किसान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बड़े-बड़े किसानों के जरूर खिलाफ हूं जिन्होंने अपनी तरकीब से सारी जमीन को अपनी मुट्ठी में रखकर हिन्दुस्तान की 43 परसेंट लेबर को एक्सप्लायट कर रखा है। आप गांव में उन लोगों की हालत देखिए। 1947 के पहले जो गांव की हालत थी, मैं समझता हूं कि उसमें परिवर्तन नाम की कोई चीज नहीं हुई है।

हम आंकड़ों की खेती कर लें, हाउस में जवाब दे दें लेकिन इससे उसकी समस्याओं की इतिश्री नहीं होती है। हिन्दुस्तान के खेतिहर मजदूरों की हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक उनके लिविंग स्टैंडर्ड को हम नहीं बदलते। हम यह नहीं कह सकते कि हिन्दुस्तान ने किसी मायने में तरक्की की है।

पी० एल०-480 के अन्तर्गत हम अनाज, गेहूं बाहर से मंगाते थे। हिन्दुस्तान के खेतिहर मजदूरों ने समझा कि हमको पूरी मेहनत करके, सारी शक्ति लगाकर हिन्दुस्तान को आत्म-निर्भर बनाना है और उन्होंने देश को आत्म निर्भर बनाया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बड़े-बड़े किसानों ने देश को आत्म-निर्भर बनाया है? क्या 400 एकड़ जमीन रखने वालों ने इसको आत्मनिर्भर बनाया है? वही एग्रीकल्चर लेबर ने इसे आत्मनिर्भर बनाया है जिनके बारे में हम विशेष नहीं सोचते।

हम अपने प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं। 1975 के पहले एग्रीकल्चर लेबर का कन्सैप्ट इस कंट्री में नहीं था, मिनिमम वेजेज के बारे में कहां कोई सोचता था? मिनिमम वेजेज के सवाल पर न कभी किसी विधान सभा में और न इस सदन में रिव्यू किया गया लेकिन 1975 में हिन्दुस्तान के नेतृत्व ने इस बात का आह्वान किया कि जब तक हिन्दुस्तान के एग्रीकल्चर लेबर की हालत हम नहीं सुधारते तब तक हिन्दुस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते और खाद्य के मामले में हमको जो उन्होंने सफलता दी है, जब तक उसका इक्वल शेयर उन 43 प्रतिशत लोगों को नहीं देंगे तब तक उनके साथ अन्याय होगा। उस समय लैंड रिफार्म और मिनियम वेबेज का कन्सैप्ट आया और आन्दोलन के रूप में वह आगे चला। लेकिन जब जब भी गरीबों के किसी तरह के काम होने की बारी आती है, जब-जब सरकार की मंशा बनती है कि हम गरीबों का उद्धार करें, देहात के रहने वाले एग्रीकल्चर लेबरर को ऊपर उठायें, तब तब विरोधी दल के लोग सहयोग की जगह विरोध की भूमिका अपनाते हैं।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : कहां भाई, पूरा सहयोग देते हैं।

श्री राम स्वरूप राम : भाषणों में तो आप सहयोग देते हैं लेकिन एक्शन में नहीं होता है।

आज यहां विलो-पावर्टी लाइन के बारे में एक सवाल था, मैं समझता था कि सी० पी० एम० पार्टी के लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित होगा, लेकिन सारा अपोजीशन गायब था। इससे साफ जाहिर है कि एग्रीकल्चर लेबर पैमाने पर अपोजिशन की क्या भूमिका इस देश में रही है ?

लैंड रिफार्म की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस सिलसिले में हमने 1975 में 22 मिलियन एकड़ जमीन सरप्लस घोषित की थी।

हमने कहा था कि हम इस जमीन को गरीबों में बांट देंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ 3.5 मिलियन एकड़ जमीन बांटने के लायक हुई है और सिर्फ 1·27 मिलियन एकड़ जमीन बांटी जा सकी है। इस बात की पूरी आशंका है कि बांटी गई जमीन पर उन गरीबों को अधिकार भी मिला है या नहीं ?

1977 से पूर्व एक आंदोलन के रूप में जमीन बांटी गई थी। लेकिन 1977 में जब हुकूमत बदली, और उसमें माननीय अटल जी शासन में आए, तो गांवों के बहुत से लोगों में यह भावना फैलाई गई कि यह जमीन इन्दिरा गांधी ने बांटी है, अब इन्दिरा गांधी शासन में नहीं है, इसलिए इस जमीन को छीन लें। यही कारण था कि वेलछी में जमीन को लेकर झगड़ा हुआ और पत्थरहेड़ा में झगड़ा हुआ। हमने जो पालिसी बनाई थी, 1977 में जनता पार्टी की हुकूमत में उसका ब्रेक-डाउन हुआ। अगर हमने लैंड रिफार्म्ज को एक आंदोलन के रूप में, 1975 का टेम्पो बनाकर, न चलाया, तो मुझे आशंका है कि देश में लैंड रिफ़ार्म्ज सफल नहीं हो सकतीं और गरीबों को जमीन नहीं मिल सकती।

आज स्थिति यह है कि जिसको खेती से मुहब्बत नहीं है, उसके पास जमीन है और जिसको खेती से मुहब्बत है, उसके पास खेती नहीं है। हम कहते हैं कि यह प्राडक्टिविटी यीअर है, उत्पादन बढ़ाओ और देश को आत्म-निर्भर बनाओ। लेकिन यह कैसे हो सकता है ? जिसको जमीन से मुहब्बत नहीं है, दिल्ली, पटना, चंडीगढ़ या बंगाल के बड़े बड़े शहरों में रहने वाले और दिमागी तौर पर उपज बढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति के पास खेती है और शरीर से काम करने वाले के पास, जिसे खेती से वास्तविक मुहब्बत है, खेती नहीं है। जब तक हम लैंड रिफ़ार्म्ज न करें, तब तक उपज नहीं बढ़ सकती।

हमारे सीलिंग लाज में काफी लकुना है। उदाहरण के लिए बोधगया के महंत के पास 19,000 एकड़ जमीन है, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद, सरकार के नेक इरादों के बावजूद, अभी तक केवल 2,000 एकड़ जमीन बंटी है और 17,000 एकड़ जमीन फ़र्जी नामों से उसके पास है। पहले उन्होंने कह दिया था कि मैं इतनी जमीन अपनी इच्छा से दान दे दूंगा, लेकिन जैसे ही 1977 का दृश्य उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में जो केस हैं, मैं उन्हें लड़ूंगा।

हम प्रोग्रेसिव मेजर लेते हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं, उनकी तरक्की हो। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल लेबर की तरक्की हो, हम उनको जमीन दें और उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाएं। लेकिन जब सीलिंग की बात आती है और मामला जुडिशरी में जाता है, तो सारी बात खटाई में पड़ जाती है। इसलिए सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि सीलिंग लाज में जो खामियां रह गई हैं, जिन लूप-होल्ज़ की वजह से ज्यादा ज़मीन वाले लोगों को बचने का स्कोप मिल जाता है, उनको वह प्लग करें और तेजी से लैंड रिफार्म्ज को लागू करे।

सभापति जी, मैं एग्रीकल्चर लेबर के बारे में आंकड़ा देना चाहता हूं। 1951 की सैन्सस के

मुताबिक देश में 14.17 परसेंट एग्रीकल्चर लेबर है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 6.85 परसेंट है। 1981 की सैन्सस के मुताबिक एग्रीकल्चर लेबर 26.31 परसेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि 24 करोड़ के लगभग की आबादी एग्रीकल्चर के रूप में है। जिनके पास न सिर छिपाने के लिए घर है, न पीने के पानी की उचित व्यवस्था है और न बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय है और न बीमारी के समाधान के लिए कोई अस्पताल है। कितना बड़ा अन्याय हम इस वर्ग के साथ कर रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर ही सोचना चाहिए। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हम अपनी आजादी की 36 वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी आजादी का क्या होगा। उनकी आजादी का स्वरूप क्या होगा ? इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि यह जो 24 करोड़ की जनता है, इसमें लास्ट मैन प्लानिंग की बात करनी चाहिए। यह एक अहम सवाल है, राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर इसको चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, आगे बढ़ाना चाहिए।

मैं आपको 1981 की सैन्सस के बाद एग्रीकल्चर लेबर की स्थिति विभिन्न राज्यों में क्या है, उसका आंकड़ा देना चाहता हूं—

राज्य	एग्रीकल्चर लेबर परसेंट में
आन्ध्र प्रदेश	36.68
बिहार	35.44
गुजरात	22.82
हरियाणा	16.40
हिमाचल प्रदेश	2.93
जम्मू और काश्मीर	3.71
कर्नाटक	26.66
केरल	28.19
महाराष्ट्र	26.79
मध्य प्रदेश	24.17
मनीपुर	7.88
मेघालय	9.92
नागालैण्ड	1.87
उड़ीसा	27.65
पंजाब	22.83

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। पंजाब हमारा बहुत ही रिच-स्टेट है, लेकिन वहां भी 22.83 परसेंट एग्रीकल्चर लेबर है, जिनकी रहने तक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि पंजाब काफी डेवलप हो गया है।··· (**व्यवधान**)···वैस्ट बंगाल की हालत भी बहुत बुरी है। वहां पर भी 24.82 परसेंट एग्रीकल्चर लेबर है, आप वहां कितनी लैफ्ट फ्रन्ट सरकार चला रहे हैं, यह इसी का परिणाम है।··· (**व्यवधान**)···आज मिनिमम वेजेज़ की मांग चल रही है। बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत देश को एक नई रोशनी दी गई। कहा कि हम मिनिमम वेजेज देंगे, घर की पर्ची देंगे, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है। कहा जाता है कि हमें मिनिमम वेजेज दीजिए तो उसको नक्सलाइट कह कर मार दिया जाता है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : वहां कांग्रेस (आई) का राज है।

श्री रामस्वरूप राम : यह कांग्रेस (आई) रूल की बात नहीं है, व्यवस्था की बात है। हम जब मिनिमम वेज मांगते हैं, जमीन माँगते हैं तो बड़े-बड़े जमीदार पुलिस और प्रशासन से मिलकर यह कहते हैं कि यह नक्सलाइट है इसको जेल में बन्द करो। इन-दि-नेम-आफ़-नक्सलाइट्स, इन-दि-नेम-आफ-एक्सट्रीमिस्ट्स, जो गरीब लोग हैं जब वे

अपना हक मांगते हैं तो उनके ऊपर तरह-तरह के अत्याचार किये जाते हैं। यह जागरण का समय है और हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने उनको जगाया है, इसलिए हमें मिनिमम-वेज के कानून को तेजी के साथ लागू करना होगा।

···(व्यवधान)···

आपने एन०आर०ई०पी० की स्कीम चलाई है—लेकिन आप देखिये वे कितने दिनों तक अन-एम्पलाएड रहते हैं ? कितने दिनों तक उनको गाँव में काम मिलता है ? साल में 122 दिन वे अन-एम्पलाएड रहते हैं—जिसमें

Percentage of days of unemployment due to want of work is 36.89.

जबकि उसकी पर-कैपिटा इन्कम 40 रुपये पर-मंथ है जिसमें उसको 122 दिनों के लिए अन-एम्पलाएड रहना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूं—आपने यह स्कीम तो उनको दी है, लेकिन क्या इस में उनको मिनिमम-वेज मिल रहा है ? आज भी उनको केवल तीन-चार रुपया रोज मिल रहा है, जब कि हम कहते हैं कि इस रूरल एम्पलायमेंट स्कीम के लिये हमने इतने करोड़ रुपया एलाट कर दिया है। हम लोग सिर्फ आंकड़ों की खेती करते हैं और पिछले 36 सालों से करते आ रहे हैं लेकिन आज यह समस्या चुनौती बनकर देश के सामने खड़ी है।

कई बार आपने इस संबंध में कमेटियां बनाई। एक बार आपने एक स्टेण्डिंग कमेटी बनाई और सारे चीफ मिनिस्टरों की मीटिंग बुलाई, लेबर मिनिस्टरों को बुलाया, उसमें राज्य सरकार को डायरेक्टिव दिया गया कि कोई सैन्ट्रल लेजिस्लेशन लाया जाय। लेकिन सभी स्टेट्स ने, मैं बंगाल की बात विशेष रूप से कहता हूं, वहां के चीफ मिनिस्टर ने कोई कमेन्ट नहीं भेजा। कांग्रेस (आई) के चीफ मिनिस्टरों ने तो फिर भी कुछ कहा, लेकिन बंगाल ही एक ऐसी सरकार थी जिस ने कभी भी अपने कमेन्ट नहीं दिये। आप कहते हैं कि आप बहुत प्रोग्रेसिव हैं। भाषण से अगर समाजवाद आ सकता है तो ले आइये। आपके भाषण में समाजवाद है, लेकिन मेरे एक्शन में समाजवाद है। लच्छेदार भाषणों से समाजवाद नहीं आता।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : Sir, on a point of clarification. We are talking of people's democracy, not socialism. We are talking of people's democracy. I just want to educate him.

श्री रामस्वरूप राम : मैं सैन्ट्रल लेजिस्लेशन के बारे में कह रहा था। यह मामला 1981 से पेण्डिंग है कि मिनिमम वेज के लिये सेन्ट्रल लेजिस्लेशन बनाया जाय लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं चाहता हूं—लोक सभा के इस सत्र का अवसान होने वाला है, आप अभी से कोई तारीख तय करके सभी मुख्य मंत्रियों को बुलाकर इसके बारे में उनकी राय ले लें कि हम इसके बारे में सैन्ट्रल लेजिस्लेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी लेथार्जिक पालिसी की वजह से इसको नहीं कर पा रही हैं। कर्नाटक और आंध्र में तो अब रिएक्शनरी सरकारें बन गई हैं वहां क्या होगा मैं कह नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यही है कि काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। फार्म लेबर के बारे में मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि उनकी कंडीशंस आफ सर्विस को कैसा बनाया जाए, जिससे उनकी सर्विसेज में सुरक्षा हो सके, यह सरकार को देखना चाहिए। आज हम यह देखते हैं कि कारखनिया लेबर जो है और एग्रीकल्चर लेबर जो है, ये दोनों ही अनस्किल्ड लेबर हैं लेकिन आप एक का लिविंग स्टैन्डर्ड देखिए और दूसरे का लिविंग स्टैन्डर्ड देखिए, दोनों में बहुत अन्तर है। इसके पीछे कारण यह है कि फार्म लेबर जो है, वह आर्गेनाइज्ड नहीं हो पाई है और हम लोग जो सफेदपोश हैं, वे कारखाने के मजदूरों को आर्गेनाइज कर के और बड़े-बड़े होटल में रहकर उनके लिए समाजवाद की बात तो करते हैं लेकिन जो एग्रीकल्चर लेबर है, उसके लिए इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे अटल जी भी जायेंगे, तो

बोकारी में, जो स्टील सिटी है, जायेंगे और वहां के वर्कर्स की बात करेंगे लेकिन वे फार्म लेबर की बात नहीं करते हैं। अभी वे बोध-गया गये थे और वहां पर साहूकारों ने उनको पैसों में तोला था लेकिन वहां उन्होंने एग्रीकल्चर लेबर के बारे में कुछ नहीं कहा, जमीन बांटने की तो बात ही क्या है।

MR. CHAIRMAN : Have you decided to conclude or not ?

श्री रामस्वरूप राम : मैं अब समाप्त कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि उनकी सर्विस कंडिशन्स को इम्प्रूव किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको साल भर रोजी-रोटी मिले। मेरा सुझाव यह है कि इसके लिए आप एक सेन्ट्रल लेजिस्लेशन लाएं और इसको आप राज्य सरकारों पर मत छोड़िये। राज्य सरकार उनकी प्रगति के लिए कुछ नहीं कर रही हैं और उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। वह दिन भर इतनी सख्त ठंड में और प्रचन्ड गर्मी में काम करता है और चाहे जितनी गर्मी का मौसम हो, वह खेती पर काम करता है लेकिन उसको खाने भर को भी नहीं मिलता है। रात को जब वह झोंपड़ी में सोने के लिए जाता है, तो आज जैसी सामाजिक व्यवस्था है, जिसकी वकालत हमारे अटल जी भी किया करते हैं, उसमें उसके घर को आग लगा दी जाती है और उनको जिन्दा जला दिया जाता है, उनकी बहू-बेटियों के साथ रैप किया जाता है और उनके पुरुषों को ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। 43 परसेन्ट एग्रीकल्चर लेबर की हालत आज बहुत खराब है और यदि इसको ठीक नहीं किया गया, तो एक दिन हिन्दुस्तान की धरती पर ऐसा विद्रोह भड़केगा, जिसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। यह पंजाब और असम का सवाल नहीं है। वे देश को तोड़ना चाहते हैं लेकिन ये देश का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए चाहते हैं कि उनको फैसीलिटीज दी जाएं।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहता हूं कि आज एक बहुत एलार्मिंग स्थिति इस देश में है और एक सेन्ट्रल लेजिस्लेशन बना कर ही इनका उद्धार किया जा सकता है ताकि वे यह समझें कि वे भी इस देश के सभ्य नागरिक हैं और दो नंबर के सिटीजन नहीं हैं। मैं यह चाहता हूं कि सरकार को इस बात के लिए कम्पेल किया जाए कि वह उनके उद्धार के लिए एक सेन्ट्रल लेजिस्लेशन लाए।

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly) : We are discussing a matter which is drawing the attention of all serious people of this country and such a discussion should have been allotted more time and at the more suitable time it should have been taken. The worsening plight of the agricultural labour is a hard truth. I have no time, nor do I like to do it within my limited time to describe the plight. It is a hard truth and what is to be done ? The Government, the ruling party has many times tried to show as if they are very much interested in the welfare of these down-trodden agricultural labour. They speak a lot about the 20 Point Programme which has been referred to by the hon. Member, the minimum needs programme, IRDP etc. But the poorer sections of these people have started feeling genuinely that this Government has no political intention, no will at all to do anything for them.

The other day when the debate was going on, in reply to certain comments made by hon. Charan Singh, Shri Pranjab Mukherjee was saying—"Do you like to say that no development has taken place in this country since independence ?" Of course, I also agree with him that some development has taken place, although not much. May-be that we have not been able to reach what we wanted to reach by this time. But my question is not this. My question is, whatever development we have achieved, has it reached a large section of the rural poor ? What comes out from the study—not my study but from the Government study, official also non-official study ? These people are becoming poorer and poorer.

I am referring to a study made by some authority including officials also while analysing the areas of Green Revolution. In 15

districts of Punjab and Haryana, there was no increase in real wages. In fact, there was a slight decline in real wages between 1960-61 and 1967-68 despite a 60% increase in the agricultural output during this period. This is a very important statement. What is "green" to you ? You are looking at "green" but behind it there is red blood of the workers, the agricultural workers and the migrant labourers coming from Bihar, Eastern Uttar Pradesh, Orissa and other places in thousands in train-loads. They go to Punjab and Haryana.

What happens ? There are contractors who take money to collect these labourers and for the first two months, they are not paid anything. Even after that, they are paid Rs. 2 a day and there are reports. I am giving a reference to only one report which came in Patriot in June, 1981 that the rich farmers are just using arsenic, a deadly poison mixed with opium and it is given to the agricultural labourers so that they can work more. The number of agricultural workers, on the one hand, is increasing. With the increasing population, without any opportunity of employment and no income from the non-farm sector and with the decline of village industries, more and more people are coming to the agricultural sector. On the other hand, one who had cultivated his land yesterday, has become a landless labourer today. Pauperization is there because of many factors—eviction, inroad of new farm technology for which there is a mad race. Then again, there is indebtedness. Many factors are contributing to the increase in the number of agricultural labourers. They have nothing with them—no land and no economic security. Taking advantage of the helplessness, they are being exploited as ruthlessly as possible. You speak about the bonded labourers. Who are they ? They are agricultural labourers. Many pious pronouncements were made long ago. Have they been identified and if so how many of them ? Have they been rehabilitated and if so how many of them ? A large section of them are bonded labourers and the number is increasing day by day.

The only point the Government is saying is, "I am trying to do something for these poor labourers and agricultural labourers. Here is my 20-point programme." Are you serious at all ? I am asking you, the hon. Labour Minister that in the Labour Ministry, long ago there was a standing committee and a sub-committee attached to that—standing committee for the unorganised labour, the sub-committee for the rural labourer—prepared a draft legislation. There was a lot of discussion. All the Parties were there. It suggested, "something must be done ; no delay is to be tolerated any more and the Central legislation for the agricultural workers will have to be urgently taken up". Three years have passed. It is in the cold storage. Still they say, we will have to do something for the agricultural labourers. On the other hand, they are slandering us : "Nothing has been done in West Bengal ; what are you doing in West Bengal ?"

It is not my utterance. An hon. Member of the other House, Mr. Bhola Paswan Shastri, had gone to West Bengal during the Left Front regime ; he had visited the Scheduled Caste and Scheduled Tribe areas and he had seen with his own eyes what the Left Front Government were trying to do for *bargadars*. He has written a report on it. While speaking on the Mandal Commission's Report, I had said that. He had said—here is a model—a programme taken up by the West Bengal Government ; the other States should take lessons from it. The West Bengal State has given a model in regard to land reform legislation for the welfare of the landless and downtrodden people. As I said, this is not my utterance. This is an utterance made by the representatives of the ILO, the representatives of Bangladesh and even the Congress people. They are saying what they have done. Let me mention what we have done.

In West Bengal, till the end of the year, 7.50 lakh acres of agricultural land were distributed among 14.18 lakh landless agriculturists. Since 1951, the largest share of surplus land coming from West Bengal, out of 51 lakh acres, West Bengal accounted for more than 12 lakh acres. Not only that. The largest quantum of litigation is in relation to the steps we have taken is in West Bengal. All those cases are lying in the courts. We have repeatedly approached the Government to find out a solution in the interest of the downtrodden people and for

giving land to the landless. We have passed a Bill in the West Bengal Assembly. Mr. Sidhartha Shankar Ray, the then Chief Minister had legalised all the benami transactions. There is no land. All land is being held in benami. We have proposed to find out all this to have more surplus land so that it could be vested and distributed to more and more landless agriculturists. Let us have such a law and plug the loopholes. We have sent the Bill to the Centre. Many people have praised it saying that it is a good Bill. But the President's assent and the approval of the Central Government is still not there. It has been pending for the last two years. Repeatedly, both inside the House and outside also, we have approached them. What is the difficulty ? If they are really interested in land reforms, they should give the approval. This Government always criticises us. If you take the land distribution and land reforms, both the achievement of the West Bengal Government is most remarkable throughout India.

Only the other day, two days back—I am thinking in terms of a privilege—the Minister has replied regarding the minimum wage. In Punjab and Haryana, it is Rs 13/- and Rs 14/-. In Orissa and West Bengal, it is only Rs 6/-. The Minister should have added something more. West Bengal is the only State after Kerala where dearness allowance is given to the agricultural labour. Now, it is Rs 10/-. How can be that the Central Minister does not know all this. It has come out in the speeches made in the West Bengal Assembly by the Ministers and others also.

The land problem is a very serious problem. Prof. Mahalanobis in 1969 had said that the total surplus land could be 6 crore acres as per 20 acre ceiling. Out of 40 lakh acres target now they have just declared 26 lakh acres as surplus and they have distributed only 18 lakh acres. How much is left with you ? There are litigation problems. You say "We are taking land reforms under Ninth Schedule to save it from litigation." You are all hoodwinking the people. Where is the surplus land ? Land is not available it has been hidden. You were not at all interested to bring about such legislation and to plug the loopholes when surplus land can be made available.

Even in the matter of distribution, as you know, and Members on the other side would agree, that even land has been redistributed to the original owners of the land in many places and not to the landless people. These helpless people have to stand on their own legs to solve their problems. This is our experience.

श्री रामस्वरूप राम : सभापति जी, बंगाल में तो अभी भी जमींदारी सिस्टम है।

PROF. RUP CHAND PAL : In Kerala and Tamilnadu, they have organised agricultural labour and in Kerala and West Bengal, the minimum wage is ensured. Not only that. We have started a new thing. We want the help of the Central Government. We are having limited resources. We have started pension for the old and disabled agricultural labour. All these are genuine efforts being made by us. But I find that the Central Government, in spite of loud pronouncements being made, are not at all interested in the welfare of the landless. What is the position of NREP ? According to your estimate, even one-third of the target could not be achieved. You knew the problems that might crop up. You have changed from Food for Work Programme to NREP. This was the result. Employment generation has not been possible. Sometimes you say "We have achieved this and that in regard to agriculture." The other day, the Hon. Agriculture Minister was saying like that. But you should remember that this development has not reached the downtrodden, the lowest section which account for 24-25 crores of people who are landless and their lot has not improved a bit during all these decades. The landless agricultural labours have nothing to depend upon. It is strange that the Central Government often discusses the lot of the landless agricultural labourers while discussing famine, floods, and atrocities on Harijans. The landless agricultural labour have nothing to depend upon and their lot can be improved only by giving them land and minimum wages together with other rights but the Central Government is

not at all interested in the welfare of the landless labour.

The agricultural labourers will not tolerate your callousness, and your attitude in spite of your pronouncements and that day is not far off when they will stand on their own legs, organise and remove you from power to better their own lot.

श्रीमती विद्या चैन्नुपत्ति (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय डिस्कशन के लिए लिया है। माननीय राम स्वरूप राम ने जो डिस्कशन शुरू किया है वह महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर लेबर हमारे समाज में डिसआर्गिनाइज्ड है, उनके लिए कोई आर्गिनाइजेशन नहीं है। अगर कोई आर्गेनाइजेशन है भी तो बहुत छोटी छोटी हैं, और समाज या सरकार की तरफ से कोई भी पक्की आर्गेनाइजेशन उनके लिए नहीं है। उनकी वेजेज भी बहुत लो होती हैं।

उनके वेजेज के बारे में मिनिमम वेजेज एक्ट तो बनाया गया था, लेकिन हर दिन हम देखते हैं कि उस एक्ट के मुताबिक उनको कुछ नहीं मिलता है। अगर कुछ जगह मिलता भी है तो उसमें महिलाओं और भाइयों में डिस्क्रिमिनेशन है। महिलायें काम करें या पुरुष काम करें, उनके लिये बराबर वेतन नहीं मिलता है। महिला को 4 रुपये और पुरुष के लिए 8 रुपये फिक्स किया था। महिलाओं को 4,5 रुपये से ज्यादा नहीं दिया जाता है जबकि 2 रुपये भी गांव में उसको दे देते हैं। इसलिए जो एग्रीकल्चर लेवर जमीन में काम कर रही है, उसके लिए कोई आर्गेनाइजेशन नहीं है। यह सरकार की रैस्पोंसब्लिटी है कि उनको पूरी वेजेज मिलनी चाहियें। एक्ट से कुछ नहीं होता है।

हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, आर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करते हैं, उनके लिए तो यूनियनें हैं। वह पूछते हैं कि देंगे या नहीं। अगर नहीं तो मजदूर स्ट्राइक कर सकते हैं और कुछ न कुछ बैनेफिट ले सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लेबर में इकट्ठे होने की शक्ति नहीं है। इसलिए ना वे स्ट्राइक कर सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी मिलना मुश्किल होता है। इसलिए डिस-आर्गेनाइज्ड सैक्टर की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

यह पार्टी की समस्या नहीं है, देश की समस्या है। जो अनाज हम खा रहे हैं, यह एग्रीकल्चर लेबर के जरिये पैदा होता है। सारे देश में एग्रीकल्चर लेबर है। कोई भी पार्टी हो, अगर वह एग्रीकल्चर लेबर के लिए नहीं लड़ेगी तो देश के लिये कुछ नहीं होता है। सबको मिलकर एग्रीकल्चर लेबर के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।

लैंड रिफार्म एक्ट स्टेट में भी है और सैंटर में भी है। इसके अन्तर्गत जो भी जमीन एग्रीकल्चर लेबर को दी गई है, मेरा कहना यह है कि सिर्फ जमीन देने से काम नहीं चलता है। उनको कुछ लोन भी देना चाहिए और कम परसेंट ब्याज पर देना चाहिए। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो जमीन सरकार देती है लैंड रिफार्म के अन्तर्गत, उस जमीन पर एग्रीकल्चर लेबर कुछ लोन लेकर फसल के लिए काम करता है लेकिन प्रकृति से साइक्लोन वगैरह से वह फसल नहीं हो पाती है। उसके लिए कोई क्राप इन्श्योरेन्स की योजना भी नहीं है। जब तक यह नहीं होगा तब तक एग्रीकल्चर लेबर क्या कर सकती है? प्रकृति की समस्या बहुत बड़ी हो जाती है उनके लिये।

मेरा सुझाव है कि क्राप इन्श्योरेंस जरूर रहना चाहिये, वरना एग्रीकल्चर लेबर के लिए जो जमीन हम देते हैं, उसमें वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लैंड रिफार्म के जरिये जो जमीन मिलती है, वह प्रकृति के जरिये कभी-कभी चली जाती है और फिर उनमें लोन वापिस करने की शक्ति नहीं रहती है।

हमारी 43 परसेंट एग्रीकल्चर लेबर है जिसके जरिये हम आजकल अनाज पैदा करते हैं। खाने की चीजें उनके जरिये आती हैं। उनके बारे में

1975 में कानून तो बनाया गया था, लेकिन कानून से ही सबकुछ नहीं होगा, उसके लिए सारे समाज को सारी पार्टियों को रिस्पोंसब्लिटी लेनी चाहिए।

किसानों को एजूकेशन भी नहीं मिल रही है। हमने अडल्ट एजूकेशन इन्ट्रोड्यूस की थी कि गांव-गांव में एजूकेशन जाये। सारी स्टेट्स इस बारे में क्या कर रही हैं? हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा जी के जरिये सैंट्रल गवर्नमेंट नान-फार्मल एजूकेशन के लिए तो कुछ कर रही है, लेकिन उनको एग्रीकल्चर की एजूकेशन भी देनी चाहिए। कि एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करें। मेरी राय है कि टी० वी० से इसका प्रचार करना चाहिए। मैं समझती हूं कि एग्रीकल्चरल लेबर को डाकुमेंटरी फ़िल्मों के द्वारा एजूकेशन दी जा सकती है।

गाँवों में एग्रीकल्चरल लेबर छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं। उनके घरों में और उनके आस-पास इतनी गन्दगी होती है कि वहाँ बैठना भी मुश्किल होता है। उन लोगों की हाउसिंग प्राबलम को हल करना समाज और सरकार की रेसपांसिबिलिटी है। उन लोगों की लिविंग कन्डीशन्ज को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए।

इसके साथ ही उनके लिए पानी, बिजली और लैवेटरीज की भी व्यवस्था करनी चाहिए। लैवेटरी के बिना घर बनाने से उनके आस-पास बहुत गन्दगी हो जाती है। यह बहुत जरूरी है कि जहां वे लोग रहते हैं, उसके आस-पास क्लैनलिनेस हो, लेकिन लैवेटरीज के बिना वहां क्लैनलिनेस नहीं हो सकती।

आज हर ब्लाक में प्राइमरी हैल्थ सैंटर है, लेकिन हर गांव में डिस्पेंसरी न होने की वजह से उन लोगों के लिए इलाज कराना बहुत मुश्किल है। खास तौर पर महिलाओं के लिए दूर जाना सम्भव नहीं होता। उनकी हैल्थ को सुधारने के लिए हर गाँव में डिसपेंसरी स्थापित करनी चाहिए।

हमारे देश में बर्थ-रेट बढ़ रहा है। मैंने देखा है कि 1981 तक बर्थ-रेट डबल से भी ज्यादा हो गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि एग्रीकल्चर लेबर में फैमिली प्लानिंग का प्रचार किया जाए, वर्ना उनकी समस्यायें हल नहीं हो सकतीं।

एग्रीकल्चरल लेबर के पास साल में छः महीने से ज्यादा काम नहीं होता है। इसलिए उनके सामने अनएम्पलायमेंट की प्राबलम आती है। गांवों में खादी एन्ड विलेज इंडस्ट्रीज और एग्रो-इंडस्ट्रीज लगाकर उन लोगों को रोजगार देना चाहिए।

हमने कानून बनाकर वांडिड लेबर को प्राहिबिट कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल लेबर को किसानों और बड़े लोगों के पास रहकर उनके वांडिड लेबर का काम करना पड़ता है। उन्हें काम के अधिक अवसर दे कर हम उनकी स्थिति को सुधार सकते हैं।

हम उन्हें दो रुपये के हिसाब से अनाज देते हैं। लेकिन वह सारा साल देना चाहिए। उन्हें जितना अनाज चाहिए, वह सब उन्हें देना चाहिए। सिर्फ दस किलो अनाज देने से काम नहीं चल सकता है, क्योंकि वह तीन दिन से ज्यादा नहीं चलता है। उन लोगों की कोई आर्गनाइजेशन नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए। वह एक डिसआर्गनाइज्ड सेक्टर है और सरकार को उसे अधिक से अधिक सुविधाएं देनी चाहिए।

यह प्रस्ताव लाने के लिए मैं श्री रामस्वरूप राम को बधाई देती हूं। इसके द्वारा वह एक बहुत अच्छी चर्चा सदन में लाए हैं। मैं सब सदस्यों को कहना चाहती हूं कि यह किसी एक पार्टी की समस्या नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चरल लेबर की समस्या सारे देश की समस्या है। हम सबको इस समस्या के बारे में सोचना चाहिए और उनको मदद देने के लिए आवश्यक कानून बनाना चाहिए।

MR. CHAIRMAN : Shri Trilok Chand. Before you speak, I would request that since only two hours are allotted for this discussion, you will confine your speech to six to seven minutes only so that I can accommodate many members.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi) : Why don't you extend the time ?

MR. CHAIRMAN : After some time, we shall see.

Shri Trilok Chand.

श्री त्रिलोक चन्द (खुर्जा) : सभापति महोदय, आज जिस समस्या पर सदन में चर्चा हो रही है, यह समस्या किसी पार्टी की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, किसी मजहब की समस्या नहीं है। माननीय सदस्य द्वारा बताया गया कि बंगाल में क्या हो रहा है, केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। खेतिहर मजदूरों की समस्या पूरे मुल्क की समस्या है। 35 सालों की आजादी के बाद भी यह समस्या जैसी थी, वैसी है, इसमें कोई अन्तर नहीं आया है। जैसा कि कहा गया मुल्क में तरक्की हुई है, यह बात सही है। मुल्क में तरक्की हुई है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। बिजली का उत्पादन बढ़ा, कारखाने बढ़े, शिक्षा बढ़ी, ऐसी कोई चीज नहीं हैं, जिसमें कुछ न कुछ वृद्धि न हुई हो, लेकिन जिस दिशा में उसको बढ़ना चाहिए था, वह उस दिशा में नहीं बढ़ी है, जिससे कि इस समस्या का समाधान किया जा सकता।

खेतिहर मजदूर गांव-गांव में बिखरे हुए हैं। उनकी कोई यूनियन नहीं हो सकती है। कहा गया कि लैंड रिफार्म से इस समस्या का समाधान हो जायेगा। हो सकता है कि लैंड रिफार्म से समस्या का कुछ निदान हो सके लेकिन इस समस्या का समाधान भी इससे नहीं हो सकता है। आप कहेंगे कि हमारी जनता सरकार जब आई तो अन्त्योदय का कार्यक्रम चला और आज आपका बीस सूत्री कार्यक्रम चल रहा है और यह कोई एक मन्त्र है कि इसका नाम लेते ही हिन्दुस्तान की गरीबी मिट जाएगी। इसमें भी नीयत साफ नहीं है। इससे कोई यह समझ ले कि कुछ सुधार होने वाला है, यह नहीं हो सकता है। अन्त्योदय जनता के जमाने में चला, कुछ लोगों को फायदा हुआ, आई०आर० डी० आज चल रहा है हो सकता है कि कुछ लोगों को लाभ हो। लेकिन इसमें इतनी खामियां हैं, कमियां हैं कि एग्रीकल्चर लेबर को बिल्कुल भी लाभ नहीं हो सकता है। आपका प्लानिंग विभाग इस समस्या को गहराई से सोचता नहीं है और न हमारे राजनीतिक लोग ही सोचते हैं कि इस समस्या का निदान कहां तक हो सकता है, सोचने की गुंजाइश भी नहीं है। संसद में आए, हम लोग यहाँ भाषण ही इसीलिए करते हैं कि हमारा नाम आ जाए। जो भाषण हम यहां देते हैं शायद ही उसको कोई पढ़ता हो, सुनता हो और देखता हो—मैं नहीं जानता। कोई अमल उस पर नहीं होता है, सिवाय नाम आने के। मूलतः जो आपकी वैलफेयर कमेटीज हैं, उनमें गहराई से चर्चा होती है।

17.00 hrs.

यहां कहा जाता है कि हरिजनों के लिए यह करेंगे, गरीबों के लिए यह करेंगे, जैसे अभी एग्रीकल्चर लेबर के लिए सबने कहा कि बहुत से कानून बने हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी नीयत इस मामले में बिलकुल साफ नहीं है। हम किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते। जो दो-चार मूल चीजें हैं, जैसे ऐजूकेशन है, कास्टिज़्म है, साम्प्रदायिकता की प्राबलम है, लिंग्विस्टिक प्राबलम है—मैं आपसे पूछता हूं क्या कभी इन पर पार्लियामेंट के अन्दर या प्लानिंग कमीशन के अन्दर विचार किया गया कि इस तरह का प्लान बनाया जाय जिससे इन समस्याओं का समाधान हो सके। टुकड़ों में विचार होता है, जैसे आज एग्रीकल्चर की समस्या पर विचार हो रहा है, हर चीज़ टुकड़ों में आती है, लेकिन कम्बाइंड रूप में प्लानिंग कमीशन ने कभी इनपर विचार नहीं किया कि इन समस्याओं का निदान कैसे किया जाय।

पूरे मुल्क में लैंड रिफार्म्ज हुए। हर स्टेट में

हुए लेकिन कम्पलीटली कहीं नहीं हुए, कहीं पर कामयाब नहीं हुए। न लैंड रिफार्म्ज हुए और न एग्रीकल्चर लेबर को जमीन मिली। कहीं मिल गई तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कहीं किसी को दो-चार बीघे मिल गई तो उस पर उस का कब्जा नहीं है, मुकदमा चल रहा है जिससे वह गरीब और ज़्यादा परेशानी में फंस गया है। परिणाम यह हुआ है जो मालदार थे उन्होंने उस गरीब पर अब डण्डा पेलना शुरू कर दिया है। इस लिये अकेले लैंड रिफार्म से काम नहीं चलेगा, जमीन के साथ-साथ प्लानिंग कमीशन को जो अन्य मूल चीजें हैं उन पर भी विचार करना होगा। जैसे आप की एक स्कीम है जिसके अन्तर्गत आप रोजगार के लिये कर्जा देते हैं, भैंस के लिए कर्जा देते हैं यह तो इस तरह से है जैसे किसी को टुकड़ा फेंक दिया जिससे आदमी जिन्दा रह सके, जिससे मालूम हो कि आप गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में होता कुछ नहीं है।

मैं आपको एक और मिसाल देता हूं—हमारे यहाँ बहुत पुराने जमाने से सिर पर मैला ढोने की प्रथा चली आ रही है—मैं आपसे पूछता हूं—36 सालों की आजादी के बाद क्या आप कह सकते हैं कि यह प्रथा कम्पलीटली बन्द हो गई है, अब सिर पर रख कर कहीं मैला नहीं ढोया जाता? आप जरा सोचिए, हिन्दुस्तान में यह एक ऐसी परंपरा है जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी—जिसमें एक आदमी आपका मैला अपने सिर पर उठाकर ले जाता है और उसके बाद भी सबसे नीचे का आदमी माना जाता है। सबसे गन्दा काम करे और सबसे छोटा कहलाये। अगर आप ईमानदारी से चाहते कि प्रथा समाप्त हो जाय तो क्या आप इस का समाधान नहीं कर सकते थे? मैं आपसे पूछता हूं कि इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ, खाने की बात तो छोड़ दीजिए, कपड़े की बात छोड़ दीजिए, उनका इलाज दूर की बात है, क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? यहां पार्लियामेंट में क्या होता है, आपको अपना लीडर बचाना है और हमको अपना लीडर बचाना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। मूल समस्या पर पहुंचने का कोई प्रयास नहीं होता है। अगर हमारे मन में इच्छा होती कि हमें यह सुधार करना है तो 36 सालों के बाद यह मिसाल नहीं मिलती कि कोई आदमी अपने सिर पर मैला ढोता है।

जहां तक एग्रीकल्चर लेबर का सवाल है—मैं उनके बीच में रहना वाला आदमी हूं। मेरे पास भी थोड़ी सी खेती है, लेकिन मैं एग्रीकल्चर लेबर से ज़्यादा अच्छा नहीं हूं। मैं जानता हूं—आज उनकी क्या हालत है। लैंड रिफार्म के नाम पर थोड़ी सी जमीन दे दें, कोई छोटी मोटी इन्डस्ट्री लगाने में मदद कर दें, लेकिन उनकी एजूकेशन की क्या हालत है, स्वास्थ्य की क्या हालत है? एक छोटी सी बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। शहर में तो आज गरीब आदमी को थोड़ी चीनी मिल जाती होगी, चावल और गेहूं राशन की दुकान से मिल जाता होगा, मिट्टी का तेल मिल जाता होगा, लेकिन गांवों में क्या हालत है? पिछले दिनों गांवों में जिनके पास जमीन नहीं है, यहां तक कि किसान के पास भी जब गेहूं नहीं रहा, तो उसको खाने को नहीं मिला। वहां एक न्याय-पंचायत के बीच एक राशन की दुकान है, जिसमें 10 गांव लगते हैं और 30 हजार की आबादी है। कुल 8 क्विंटल गेहूं मिलता है, आप बतलाइये इतनी बड़ी आबादी को कैसे पूरा पड़ेगा? न मिट्टी का तेल मिलता है और न दूसरी चीजें मिलती हैं। अगर नीयत साफ होती और हम लोग ईमानदारी से कुछ करना चाहते तो सबसे पहले इस तबके का इलाज हुआ होता, जिनका कुछ नहीं है, जिनकी गांव में न चीनी की दुकानें हैं, न तेल की दुकानें हैं और न गेहूं की दुकानें हैं। उन लोगों के पास कहीं कुछ नहीं है। इसलिये कृषि-मजदूरों का जहां तक सवाल है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि उन की समस्याओं को हल करने के लिये आपको एक कमेटी बैठानी चाहिए। मैं किन-किन का नाम लूं, शेडयूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की दशा को सुधारने के लिए और पिछड़े वर्गों की दशा को सुधारने के लिए कमेटियां बनाई गई हैं लेकिन एग्रीकल्चर लेबर के लिए अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। कृषि मजदूर चाहे किसी कौम

का हो, किसी बिरादरी का हो, उसके लिए एक कमेटी बैठानी चाहिये, जो कि उसकी समस्याओं का अध्ययन करके कोई रास्ता निकाले, जिससे इस मुल्क के कृषि मजदूरों का भला हो। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लोर) : श्री त्रिलोक चंद्र ने जो अपने ख्यालात रखे हैं, वे बड़े स्पष्ट रखे हैं और बड़े शानदार रखे हैं। वे एग्रीकल्चर लेबर, कृषि मजदूरों के हक में बोले हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आज हिन्दुस्तान के गांवों में कृषि मजदूरों की बहुत बुरी हालत है। मैं इस बात को नहीं मानता। जब वोट का राइट मजदूरों को दे दिया और तमाम दुनिया में यह राइट दे दिया, तो फिर वे पीछे क्यों रह जाते हैं।

जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर उनकी हालत अच्छी है। मजदूरों की हालत सब जगहों पर एक जैसी नहीं है। वहां खेतिहर मजदूर को क्या मिलता है, आप जानते हैं। मेरे गांव में उनको 12 रुपये रोज मिलता है। जहां पर मजदूर निकम्मे हों, वहां उनको उनका हक न मिलता हो लेकिन उनको लड़ाई करने का हक है। अब वे लड़ाई नहीं करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। यहां पर आकर बातें करते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि गांवों में इन मजदूरों को भी वोट का हक मिला हुआ है। इसकी बेसिस पर वे लड़ें और गवर्नमेंट को हटा दें। हम तो ऐसा ही करते रहे हैं। मैं भी लेबरर हूं और मैंने मजदूरी की है।

> "First I am a labour than anything else".

Mussolini said this.

मैं भी लेबरर हूं और हक के लिए लड़ता रहा हूं। मैं समझता हूं कि अगर सब लेबरर मिलकर लड़ाई करें, तो उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हमने भी लड़ाई की है और पं० जवाहरलाल नेहरू से मिलकर इस तरह के मसले को हल किया था।

17-08 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

जमींदार बड़े नेरो-माइन्डेड हैं और जमीन को अपने कब्जे में रखते है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मैं हाईकोर्ट में रहा हूं और मैंने वहां पर 12 साल सर्विस की है। मैंने छोटूराम को देखा है। वे जमींदारों के हक में लड़ाई लड़ा करते थे और मैं हरिजनों के लिए लड़ाई लड़ा करता था। मुझे जमीन का मुराब्बा देना चाहते थे कि उनके साथ मिल जाऊं परन्तु मैंने इन्कार कर दिया कि मैं कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता।

The degree of unselfishness marks the degree of success everywhere.

देखिये क्या बना, वह तो मर गया और उसके बाद मैं बन गया। मैंने लड़ाई लड़ी थी और झगड़ा करके इसको लिया।

No man can get his right by request, rights are wrested from the unwilling hands.

मैंने तो ऐसा किया था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक शायर ने कहा है :

रहवर को रहवरी से गुरेज था।
वरना हमारा मर्ज कोई लादवा न था॥

चाहे कांग्रेस के हों या विरोधी पक्ष के, बड़े जमींदार कभी इस हक में नहीं हैं कि गरीबों को जमीनें दी जाएं। पंजाब में लड़ाई क्यों हो रही है? गुरुद्वारों में क्रिमनल टाइप बड़े जमींदार बैठे हुए यह सब करवा रहे हैं। मुझे इस बात का पता है।

चौधरी छोटेराम ने एक्ट बनाया कि कोई जमींदार के अलावा जमीन नहीं खरीद सकता। इसका नतीजा यह हुआ कि हम लोग जमीनें नहीं खरीद सकते थे। हम लोगों ने दूसरे नामों से जमीनें खरीदीं। नतीजा यह हुआ कि पार्टीशन के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं था। यह तो कांग्रेस

के आने के बाद फिर एक्ट बना और हम लोगों को जमीनें मिलीं।

ये लोग राजस्थान के मजदूरों की बात करते हैं। ये मजदूर पंजाब में क्यों आते हैं ? अपने यहां एकजुट होकर लड़ाई क्यों नहीं करते। हम लोगों ने भी इसके लिए लड़ाई की है। चौधरी छोटूराम ने हमको जमीनें नहीं दी हैं। जवाहरलाल जी ने सरप्लस जमीन हरिजनों को दी।

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : These Punjabis are exploiting the Rajasthan poor people.

श्री सुन्दर सिंह : आप लोग क्यों जबर्दस्त नहीं हो जाते ? कौन रोकता है आपको ?

लोकदल वाले हरिजनों की बात करते हैं। क्या किसी हरिजन का लोकदल में भला हुआ है ? इन बातों को छोड़िये। यू०पी० में क्या हालत है। वहां पर इनके जो लीडर हैं वे डाकुओं से मिले हुए हैं। डाकुओं से मिलकर गरीबों से वोट लेते हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : आपकी पार्टी के लोग हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा। मैं उनको जानता हूं। आपको भी मालूम है कि भूतपूर्व राज्य गृह मंत्री का नाम अखबारों में आया था। डाकू छबिराम को सरेण्डर कराने के लिए···। (**व्यवधान**)

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : मैं क्या उनका खेरख्वाह हूं ? कांग्रेस में जो हैं उनकी बात भी जाने दीजिए।

हरियाणा और पंजाब में जहां हरिजनों को जमीन दी गई है वहां हरिजनों को कोई नहीं मार सकता। उनके पास जमीन है। उनको मैंने वहां पर बसाया है। जितने जाट होते थे, उतने ही मैंने वहां पर हरिजन बसाए। मुझे मालूम था कि आखिर में लड़ाई होगी। जिसके पास जमीन नहीं है वह देहातों में नहीं रह सकता।

ये लोग मजदूर-मजदूर कहते हैं। मजदूर क्या है। हमको मालिक बनना होगा।

Let the evil take its natural course.

"Swami Vivekananda."

हमारी 15 करोड़ आबादी है। कांग्रेस के बारे में भी मैं आपको क्या बताऊं। सरदार प्रताप सिंह हम लोगों को जमीन नहीं देना चाहते थे। जवाहरलाल जी के कहने पर हम लोगों को जमीनें दी गईं। उनके जाने के बाद जो दूसरे आये, उन्होंने बिल्कुल जमीन देना बन्द कर दिया। हमने फिर लड़ाई लड़ी। दरअसल में काम करने का यह तरीका नहीं है। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए लड़ाई करनी होगी। इनको खुद आगे आना होगा। कोई मदद नहीं करेगा।

मैं सच बात कहता हूं। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, इसको मैं पढ़ता हूं :

> "For me, God and Truth are convertible terms. If anyone told me that God was a God of Untruth or a God of Torture, I will decline to worship Him. Therefore, we have to establish the Kingdom of Heaven in politics also".

जिन्होंने हमें आजाद कराया वह कहते हैं कि पालिटिक्स में भी हमको किंगडम आफ हैवन एस्टैबलिश करनी चाहिये। आदमी को अपनी गलती मान लेनी चाहिये। इससे आदमी स्ट्रांग होता है। लैंड रिफार्म का नारा हम लगाते हैं लेकिन लैंड रिफार्म हमने नहीं की है। अगर अपोजीशन कमजोर न होती तो कांग्रेस मजबूत न होती। इनके पास कोई बड़ा लीडर नहीं है। लोगों ने देख लिया है कि इनको अगर पावर में लाया जाएगा तो जो कुछ हो रहा है वह भी नहीं हो पाएगा। अगर कोई कुछ कर सकता है तो कांग्रेस वाले ही इन्दिरागांधी प्रधान मंत्री की रहनुमाई में कर सकते हैं, यह लोग जानते हैं। इसीलिये वे कांग्रेस के साथ हैं।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : भारत में हरी

क्रांति भी आई है, खेत की पैदावार भी बढ़ी है और गेहूं की एक नाली में तीन बालियां भी लगी हैं, गेहूं, धान की उपज भी बढ़ी है। लेकिन इस बढ़ी हुई उपज का लाभ किसको मिला है ? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्सी प्रतिशत जायदाद सिर्फ तीस प्रतिशत लोगों के पास है और वहीं पर तीस प्रतिशत लोगों के पास केवल दो प्रतिशत जायदाद है। इससे आप अन्दाजा लगा लें कि हरी क्रांति का लाभ किसको पहुंचा है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो प्रकार के मजदूर हैं। एक संगठित और दूसरे असंगठित। सभी राजनीतिक दल और गवर्नमेंट का भी ध्यान संगठित मजदूरों की तरफ जाता है। कारण यह है कि ये हड़ताल कर सकते हैं, सरकार को धमकी देकर अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर नहीं मानती है तो हड़ताल कर देते हैं और सरकार को उनकी बात माननी पड़ जाती है। देश में 24 करोड़ असंगठित मजदूर हैं जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। यह ठीक बात है कि इनकी प्राबलम एक नेशनल प्राबलम है। सभी राजनीतिक पार्टियों और सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप संगठित मजदूरों की तरफ ध्यान दें वहां इन असंगठित मजदूरों की तरफ भी ध्यान दें, इनकी हालत को सुधारने का भी प्रयत्न करें। इनके काम करने के घंटे फिक्स्ड नहीं हैं। कारखाने में छः या आठ घंटे काम होता है, लेकिन इन बेचारों को बारह-बारह और चौदह-चौदह घंटे काम करना पड़ता है और कोई ओवर टाइम भी इनको नहीं मिलता है। कब इनको हटा दिया जाये इसका भी इनको पता नहीं होता है।— धान काटने, गेहूं बोने, गेहूं काटने के वक्त सीजनल लेबर की आवश्यकता होती है और तब इनसे आठ घंटे ही नहीं बल्कि दस-बारह घंटे काम लेना पड़ेगा, चार छः घंटे इनसे फालतू काम लेना पड़ेगा लेकिन ओवर टाइम की बात भी तो उनके लिये कुछ होनी चाहिए, उसके लिये कुछ तो आप करें, कुछ तो सोचें।

मैं यह भी चाहता हूं कि मिनिमम वेज एक्ट जो है उसको आप स्ट्रिक्टली लागू करें। मिनिमम वेज हर प्रदेश में अलग-अलग हो सकता है और सारे देश के लिए एक सी मिनिमम वेज नहीं हो सकती है, एक सा कानून नहीं बन सकता है। लेकिन जो अलग-अलग रेट हैं वे भी लागू नहीं होते हैं। अगर इनको बढ़ाया जाता है तो उस पर अमल नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि कम से कम हर ब्लाक लेबेल पर एक या दो जितने भी आप मुनासिब समझें एग्रीकल्चर लेबर इंस्पेक्टर मुकर्रर करें जो यह देखें कि मिनिमम वेज जो एग्रीकल्चरल लेबर के लिए फिक्स्ड है उस पर अमल हो रहा है या नहीं।

इसके साथ साथ खेत मालिक, खेत मजदूर और सरकार का नुमाइंदा इन तीनों का नेशनल मिनिमम वेज बोर्ड फार एग्रीकल्चर हो और यह बोर्ड हर प्रदेश की कंडीशंज को देखकर वहां उनकी कुछ मिनिमम वेज तय कर दें, अलग-अलग हों, और वह भी इमप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। समान रूप से पूरे देश में उनका इमप्लीमेंटेशन हो तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मैं महसूस करता हूं और मांग भी करता हूं कि केन्द्र का लेबर या एग्रीकल्चर विभाग और प्रदेशों के एग्रीकल्चर या लेबर विभाग, दोनों में से किसी में यह व्यवस्था हो सकती है कि एग्रीकल्चर लेबर के लिए एक सेमरेट सैल बने ताकि वह इनके लिये कुछ काम कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय खेत में काम करने वाले तीन तरह के मजदूर हैं। एक जो लगभग पक्की तौर पर साल भर के लिये काम करते हैं, लेकिन उनका सेक्योरिटी आफ जौब नहीं है। जमींदार जब भी चाहे उनको हटा दे। इसलिये कोई सेक्योरिटी आफ जौब उनके लिये होनी चाहिये और पट्टीदारी रजिस्टर कराई जाय। दूसरे सीज़नल काम करने वाले होते हैं। उनके लिये भी पट्टेदारी होनी चाहिये। और तीसरे बटाईदार होते हैं। ज़मीन लेते हैं काश्त पर और पंजाब और हरियाणा में यह रिवाज है कि पैदावार का एक तिहाई मालिक के पास जाता है और दो तिहाई मजदूर को जायगा। लेकिन अभी भी कहीं-कहीं आधा-

आधा होता है। अगर सरकार पूरे देश में इस बात को लागू कराये कि एक तिहारी जमीन के मालिक के पास और दो तिहाई काश्त करने वाले के पास जायगा तो अच्छा रहेगा।

आज खेत में मशीनरी पहुंच गई है जैसे ट्रैक्टर, थ्रोशर आदि। आर० वी० आई० की रिपोर्ट मैं कोट करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि 1978 में सिर्फ पंजाब में 500 आदमियों की खेत पर मौत हुई मशीनरी के कारण, और 1978 में ही पूरे देश में 5,000 आदमी मरे हैं। मैं मशीनरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कुछ तरीके अडाप्ट कीजिये जैसे माइन्स में होता है और इसके लिये वर्कमैन्स कम्पैन्सेशन ऐक्ट में संशोधन कीजिये ताकि दुर्घटना होने पर एग्रीकल्चर लेबर को कुछ मुआवजा मिल सके। खेतों में केवल मशीनरी की ही बात नहीं है, कीट नाशक दवायें भी इस्तेमाल होती हैं और उसको इस्तेमाल करने के बाद मजदूर की क्या हालत होती है यह शायद बहुतों को मालूम न हो। हालांकि कुछ इंस्ट्रक्शन्स हैं कि दवायें छिड़कते वक्त क्या प्रीकौशन्स लिये जायें, लेकिन मजदूर को पता नहीं है और न जमींदार उसको बताता है। इस किस्म के इंस्ट्रक्शन्स स्ट्रिक्टली इमप्लीमेंट होने चाहिये। 5,000 आदमी पूरे देश में और 500 अकेले पंजाब में जो मरे हैं उनमें दवाई से मरने वाले मजदूर शामिल नहीं हैं। इसलिये सरकार इस बारे में कुछ सोचे।

जो सुविधायें या हकूक संगठित मजदूरों को मिलती हैं वही सुविधायें कृषि में काम करने वाले मजदूरों को भी मिलनी चाहिये, जैसे दवाई की सुविधा, मुआवजा, प्रौवीडेंट फंड, काम करने का निश्चित समय आदि।

30 लाख बंधुआ मजदूर देश में हैं और कम से कम 2 लाख केवल खेती में काम करते हैं। इनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। और जो खेती में काम करने वाले 24 करोड़ गरीब मजदूर हैं उनमें से 84 फ़ीसदी हरिजन, आदिवासी हैं और इनमें से 24 फ़ीसदी जो खेती में काम करने वाले मजदूर हैं उनके पास अपनी झोंपड़ी भी नहीं है। यह सरकारी आंकड़े हैं। इस सिलसिले में भी सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिये। कृषि मजदूर जो खेत में काम करता है उसको केवल फसल के समय ही काम मिलता है, शेष 7,8 महीने कोई काम नहीं है। इसलिये देहात में काटेज इंडस्ट्रीज शुरू कीजिये ताकि फालतू समय में उनको कुछ काम मिल सके। और जब तक उनको गाँव में काम नहीं मिलेगा वह शहर की तरफ जायेंगे और झोंपड़ पट्टी बढ़ायेंगे जिससे शहर में और समस्यायें तथा परेशानियां बढ़ेंगी।

इसलिये मैं मांग करता हूं कि काटेज इंडस्ट्रीज देहात में शुरू की जायें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर प्रदेश में रोजगार गारन्टी बोर्ड कायम किये जायें जो लोगों को काम दे सकें और केन्द्रीय व प्रादेशिक सरकारें कृषि मजदूर वैलफेयर फंड बनायें जिससे उनको सुविधायें दी जा सकें।

हम भी मांग करते हैं कि किसान की उपज के दाम बढ़ाइये, खाद के दाम आपने बढ़ा दिये हैं, यह ठीक है लेकिन हमारी यह मांग है कि जब किसान की उपज के दाम बढ़ाते हैं, उस समय खेतों में काम करने वाले खेतिहर मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ानी चाहिये। किसान उसको थोड़ी मजदूरी देता है, यह नहीं होना चाहिये। किसान उनकी मजदूरी के बढ़ावे के नाम पर अपने दाम जरूर बढ़वा लेता है, इस तरह से जब उपज के दाम आप बढ़ाते हैं तो लाजमी तौर पर मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ानी चाहिये।

लैंड रिफार्म एक्ट बरायेनाम है, इस पर अमल कहीं नहीं हो रहा है। इस पर स्ट्रिक्टली अमल होना चाहिये। श्री रामस्वरूप राम ने ठीक कहा है कि आज भी 17 हजार एकड़ लैंड एक महन्त के पास है। हमारे पीरियड में तो यह उसको दी नहीं थी। उसके पहले भी आप हुकूमत में थे और 1980 के बाद भी आप हैं। मैं इस बारे में कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जनता पार्टी का जो जिक्र किया, इसलिये कह रहा हूं कि आप अपनी

हुकूमत से पूछें कि 17 हजार एकड़ एक महन्त के पास क्यों है ? एक नहीं, इस प्रकार के बहुत से महंत हैं। सबसे जमीन छीनी जाये और ऐसे कानूनों को विधान के नाइन्थ शिड्यूल में शामिल किया जाये ताकि इसका लाभ खेत में काम करने वाले लोगों को मिल सके।

इन बातों के साथ मैं इस रैज्यूलूशन का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार नींद से जागेगी और इन खेतिहर मजदूरों के लिये कुछ काम करेगी।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री राम स्वरूप जी ने खेतिहर मजदूरों की तरफ ध्यान दिलाने के लिये जो प्रस्ताव रखा है, इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। गाँव की आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इतने अच्छे कानून बनाते हैं, 20-सूत्री कार्यक्रम बनाते हैं, गरीबों को जमीन एलाट करने की बात करते हैं, कुछ राज्य सरकारों ने यह काम किये भी हैं, लेकिन असल बात यह है कि गांव के लोगों को कानून ने लड़ा दिया है। हमने लैंड रिफार्म किया है, गांव में जो जमींदार था, उससे लैंड लेकर मजदूरों को देनी थी, इससे मजदूरों और मालिकों में झगड़ा हो गया और जो छोटे काश्तकार, गरीब खेतिहर मजदूर गांव में किसान के पास बैठकर अच्छी तरह से पहले रोटी खाते थे, उनको कहीं भी जमीन नहीं मिलती। चाहे जमींदारों की जमीन उजड़ जाये वह देते नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि किस तरह का लाभ उनको पहुंचाया जाये ?

इस समय देश में जो वातावरण है, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया, उससे सारे हिन्दुस्तान में गरीबों का शोषण होता है। अभी जो बड़े-बड़े ट्रैक्टर चलते हैं, उससे हमारे गांव के मजदूर बेकार हो गये हैं। जमींदारों ने अपने हल चला दिये, उसमें खेती हो या न हो, खाद पड़े या न पड़े लेकिन वह अपनी जमीन को बचाने के लिए यह सबकुछ करता है।

शिक्षा में भी खेतिहर मजदूर पीछे रह जाता है, उसका कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में लैंड रिफार्म हुआ जितनी बड़ी-बड़ी जमीनें थीं वह सब गरीबों को बांट दी गई, अब वहां कोई बंधुआ मजदूर नहीं है लेकिन 5,5 बीघा जमीन में कुछ नहीं हो सकता है। इससे उनको कोई फायदा नहीं है। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें घास भी चाहिये क्योंकि पशु-पालन तो करना है और घर के लिये अनाज भी पैदा करना है। उसके लिये सरकार ने जो स्कीम बनाई है, उससे लैंड रिफार्म ठीक नहीं हो सकता। इमर्जेन्सी में तो इस पर ठीक से अमल हुआ, लेकिन जैसे इमर्जेन्सी हटी, दूसरी सरकार बनी, वहां लाठी चार्ज हो गया। यह स्थिति हमारे शासन में भी चल रही है और गरीब लोगों को मारा जा रहा है। उनको बचाने का तरीका यह है कि सरकार कानून में संशोधन करे, ताकि बड़े बड़े लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ काम न कर सकें। देश के जो 24 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, अगर हम उनकी दशा को नहीं सुधारेंगे, तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि आज गांव गांव में असंतोष की ज्वाला भड़क रही है।

सरकार ने जात-बिरादरी के नाम पर सुविधायें देने की व्यवस्था की है। हरिजनों के बच्चों को वजीफा मिलता है और दूसरे लोगों को यह बुरा लगता है कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिलता है। गरीबों की एक जाति होती है। जो गरीब हैं, चाहे वे सवर्ण हों या हरिजन, उन सबको बराबर सुविधायें मिलनी चाहिये। जो हरिजन बहुत गरीब हैं, उनको ऊपर उठाना हमारा फर्ज है, लेकिन बड़े अमीर हरिजन सरकारी सुविधाओं से फायदा उठाते हैं, तो मैं उसे अच्छा नहीं मानता हूं। गांवों में जो हरिजन जूते बनाते थे या जो बुनकर थे, बड़े बड़े कारखानों ने उनका रोजगार छीन लिया है। अभी एक सदस्य ने वाल्मीकि कम्युनिटी का जिक्र किया है, जो लोगों का मल उठाते हैं।

गांवों और शहरों में गरीब लोगों को कर्ज नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें बीस जगह सुबूत देना पड़ता है, जो कि उनके लिये मुमकिन नहीं होता।

आज गांवों में यह भावना फैली हुई है कि गिरिजनों, हरिजनों और ट्राइब्ज को मदद दी जा रही है और बाकी लोगों की उपेक्षा की जा रही है। इस तरह की क्लास-वार नहीं होने देनी चाहिये। हरिजनों के लिये जो काम्पोनेंट प्लान है, उसके अन्तर्गत उन्हीं के भलाई के लिये सारा खर्च करना चाहिये। लेकिन उसी कैटेगरी के दूसरे लोगों को, चाहे वे ब्राह्मण हों या राजपूत, भी वही सुविधायें देनी चाहिये। खेतिहर मजदूर किसी एक कौम के नहीं हैं। सड़कों पर मजदूर काम करते हैं, बड़े-बड़े मकान भी मजदूर बनाते हैं और खेती बाड़ी भी मजदूर करते हैं। उन सबकी हालत को बेहतर बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिये।

आज हालत यह है कि गांवों के लोगों के लिये शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। दूर-दराज गांवों के स्कूलों में टीचर नहीं जाते हैं। अभी मैं हिमाचल प्रदेश में मुख्यमन्त्री के साथ दौरे पर गया था। हमने एक गांव में देखा कि स्कूल में सिर्फ दो टीचर हैं। जब गरीब लोगों को उठाने की बात आती है या शिक्षा का प्रसार करने की बात आती है, तो वे कहते हैं कि हम सरकारी नौकर हैं। उनके लिये कोई कानून नहीं है। हम कारखाने के मजदूरों की हिमायत करते हैं, लेकिन हमें उन लोगों की हिमायत नहीं करनी चाहिए, जो फैक्टरियों को बन्द कर देते हैं, जो मुल्क का शोषण करते हैं और मुल्क की आर्थिक स्थिति को कमजोर करते हैं। गांवों के मजदूरों के समर्थन में कोई एजीटेशन नहीं चलती है। किसानों को अपनी फसल के ठीक दाम नहीं मिलते हैं। उनको आढ़तिये और विचौलिए खा जाते हैं। दूसरी तरफ खेतिहर मजदूरों का कहना है कि उन्हें किसान खा जाते हैं। असल बात यह है कि उनको आपस में लड़ा दिया गया है।

आज जरूरत इस बात की है कि जहां जहां फालतू जमीन है, वह गरीब लोगों में बांटी जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। अगर हम उनको लड़ाने के लिए कोई लेजिस्लेशन लाते हैं, तो उनका शोषण होता है। आज भी वे लोग झोंपड़ियों में रहते हैं। हम उनके लिए कोई कालोनी नहीं बनाते हैं। श्री राम स्वरूप राम का कहना बिल्कुल वाजिब है कि गांवों में उनके लिए अच्छे मकान की सुविधा नहीं है।

उनको किसी प्रकार कोई फायदा नहीं है। वे लोग सुबह से रात तक काम करते हैं, अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, तो देखते हैं कि उनकी झोंपड़ियां किस प्रकार बनी होती है और वे लोग किस प्रकार उनमें रहते हैं। उनके बच्चों की दशा को देखकर दया आती है। हिन्दुस्तान को 35 साल आजाद हुए हो गए हैं, अभी तक हम उनके सुधार की बातें करते हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम से उनको फायदा पहुंचाना चाहिए। जो हमारे नेता हैं, यदि वे ठीक ढंग से उसको इम्पलीमेंट करा दें, तब ही उनका सुधार हो सकता है। वरना जनता हमको माफ करने वाली नहीं है। हम भाषण जितते ही दें लेकिन उनकी समस्याओं को भी देखना चाहिए। यदि हम नहीं देखेंगे तो हम आर्थिक दशा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बड़े-बड़े आदमी ही शासन में होंगे, बड़े-बड़े आदमी ही काम करेंगे, जब गरीब लोगों की आवाज उठेगी तो हम सब का सफाया कर देगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जैसा कि उनका इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया है, उनको बहुत ही गम्भीरतापूर्वक इस समस्या के निदान के लिए सोचना चाहिए। ताकि उन लोगों की हालत बेहतर हो सके। इतनी बात कहकर मैं समाप्त करता हूं।

SHRI P.K. KODIYAN (Adoor): Mr. Deputy-Speaker, I agree with Shri Ram Swaroop Ram that there is almost total neglect on the part of the Government of the agricultural labour in this country. Even though there are ever so many schemes for the development of agriculture or the agri-

cultural economy or rural development, the role and problems of agricultural labour have been almost totally neglected. In other countries we notice that in order to improve the agricultural economy special emphasis is given to the improvement of the productivity of labour who are engaged in agriculture. But, so far as our country is concerned, there is no such approach forthcoming from the Government to improve either the productivity or the techniques of production. Unless we take into consideration the vital role that agricultural labour is playing in the entire agricultural operation of our country, there can be no real progress in the rural sector. I am saying this in all seriousness and not in a light-hearted way.

Take the question of minimum wages. Even in this session the Minister stated in reply to a question that the minimum wages have been fixed and revised by the Central and State Governments in the areas which come under their jurisdiction. But what about implementation ? Except in very few areas, it is not enforced or implemented. The main reason for lack of implementation is that there is no machinery to implement it.

SHRI A.K. ROY (Dhanbad) : There is no political will.

SHRI P.K. KODIYAN : Apart from the political will. There are State Governments which have the political will, which have shown the political will. But what about the machinery ? The Labour Department is also asked to look after the problems of implementation of minimum wages in agriculture. You know, the Labour Department is seized with so many problems in the organised industrial sector and there are number of States where even the Tehsildars, Block Officers and other revenue officials also have been entrusted with the implementation of minimum wages. But to one thing they do not know the problems. The other thing is that they do not get the time to look into the implementation of these minimum wages. Therefore, the first and foremost requirement now is that at the Centre and in the States there must be separate Labour Departments exclusively for the agricultural sector. I do not agree with Mr. Suraj Bhan when he suggested setting up of special cells. Setting up of special cells will not be enough. There mut be a separate Department. That is my first point.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Therefore, you want also labour courts as in the case of industrial workers.

(*Interruptions*).

SHRI P.K. KODIYAN : Yes, there must be a tribunal. Also, instead of the present minimum wages committees in the States, there must be a Wage Board in each State specially for agricultural sector.

One of the biggest demands of the agricultural labour movement in this country was the enactment of Central legislation for agricultural workers.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Kodiyan, in some States there were some governments other than the governments of the present Ruling Party at the Centre. Including my party in Tamil Nadu they could have brought this thing. I think they failed to do that.

SHRI P.K. KODIYAN : No. My own State was the first State in this country to enact legislation for agricultural workers.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Even for labour courts and all that ?

SHRI P.K. KODIYAN : Yes, tribunal and everything is provided in Kerala.

SHRI CHITTA BASU : There is a special Act in Kerala called the Kerala Agricultural Workers' Act, providing tribunals, implementation machineries, overtime, etc. etc. etc.

SHRI P.K. KODIYAN : The hon. Member is perfectly correct.

SHRI SURAJ BHAN : It should be followed by all the States.

SHRI P.K. KODIYAN : After Kerala had enacted such a legislation,...

SHRI A.K. ROY : What is the degree of implementation ?

SHRI P.K. KODIYAN : Implementation is also there because in Kerala the agricultural labour movement is also strong. That is one of the main factors that enabled the workers to prevail upon the Government to enact such a legislation. That is also one of the main reasons why to a large extent the provisions of this particular Act are being implemented in the State.

Ever since the Kerala Agricultural Labour Act was enacted, there was a demand from other parts of the country and from other States also, that such a legislation should be introduced in their areas. Now, the demand for Central legislation is not a sectional demand. There are labour unions working in the agricultural sector led by Left Parties and also led by the hon. Minister's Party, the INTUC. All these organisations are united on this one single demand—legislation of a Central Act for agricultural workers. And in this House I had the opportunity to introduce a Resolution on this subject in 1980, and in reply to that debate, the then Labour Minister Shri Anjaiah had given an assurance for introducing such a legislation. The Standing Committee for Rural Un-organised Labour was set up by the Labour Ministry in 1980. They constituted a sub-Committee to go into this question. The sub-Committee had prepared a draft Bill. The full Committee discussed it. With some amendments it was unanimously approved in 1980, the draft was prepared after necessary discussion and consultation with the State Governments. There was unanimous demand from all the unions that this Draft Bill should immediately be introduced in the Parliament. But Government had gone back from its commitment. It has now set up the Officers Committee to again discuss it. What is the use ? They say that there is no consensus among the State Governments, there is no agreement among the State Governments. Naturally, you cannot introduce such a bill or bring forward such a legislation with the consent of all the State Governments because some of the State Governments in which landed vested interests are strongly entrenched are not at all in favour of bringing any legislation for the protection of agricultural labour. Therefore, here comes the question of political will which my friend Shri A.K. Roy was referring. If there is political will on the part of the Central Government, this legislation can be introduced in the very next session of Parliament. With all the force at my command I request the hon. Minister not to delay in bringing this legislation in the next session of Parliament. With these words, I conclude.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : The Union Labour Minister Shri T. Anjaiah, told the Lok Sabha last month that the Government was thinking of steps to organise farm workers so that they could assert and secure their rights. Shri Anjaiah said :

> "Farm labour would be organised on constructive and not agitational lines. They had been suppressed for long and should be protected properly."

The Minister reiterated the Government's intention to bring forward a comprehensive Bill to provide security to agricultural workers and rural workers. The legislation was being drafted on the basis of the standing committee's recommendations. He expressed the Government's keenness to end disparity in farm workers' wages and those of urban factory labour.

उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल तो बीत गये हैं, पता नहीं हमारे नये श्रम मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल अब इस बिल को लाकर रखेंगे या नहीं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Sometimes I think that Shri Daga is speaking from this side and not from that side.

श्री मूलचन्द डागा : आज हमारे जो इस मोशन को मूव करने वाले सदस्य हैं, श्री रामस्वरूप राम, उन्होंने अपना कलेजा सामने रख दिया है। यह व्यवस्था शोषण और दमन पर पुराने ढंग से टिकी हुई है।

हमने एक संविधान बनाया है और वह एक बड़ा क्रांतिकारी दस्तावेज है। हमारा जो संविधान है, वह कोई मामूली चीज नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारण हमारा संविधान है। उसमें यह बात कही गई है :

Article 43 says :

> "The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life....."

Now, I should not read all the relevant articles of the Constitution because it will take time. In a short-time, I want to finish my speech.

सारी बातें कही हुई हैं, लेकिन सब किताबों और लैक्चर तक सीमित हैं। जमीन पर इन कानूनों को उतारने के लिए बड़ी ताकत चाहिये। एक्सप्लोजन हो रहा है—

According to the 1971 population census, the agricultural labourers have swelled from 18.67% to 29.98% of the rural population in one decade. This is written by Shri Balraj Mehta in the year 1982 regarding the labourers in India.

आने वाले तूफान की तरफ आपने ध्यान दिलाया। क्रांति आयेगी। उससे किस प्रकार से बचना है और देश को कैसे रास्ते पर लाना है, यह श्री वीरेन्द्र पाटिल जी के हाथ की बात है। नहीं तो यह जिम्मेदारी इन पर आयेगी और इतिहास में इन्हीं का नाम लिया जाएगा। जनार्दन पुजारी जी जो धन का वितरण करते हैं, उन्हें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिये। आप सबको मिलकर काम करना होगा।

आज दीवारों पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कुछ पार्टियां तो राजा-महाराजाओं की है जो इसका समर्थन नहीं कर सकती। गांवों में जाकर देखिये क्या हालत है। मिनिमम वेजेज एक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। नियम सारे बने हुए हैं।

We read those rules and laws. But they are never implemented.

अब इन बातों को कौन कहे। जब खूनी क्रांति भड़केगी, ज्वाला भड़केगी तब याद किया जायेगा कि कोई उपाध्यक्ष महोदय थे। याद किया जायेगा कि उस वक्त लेबर मिनिस्टर ये थे।

MR. DEPUTY-SPEAKER : But this volcano will explode, here, very often.

SHRI MOOL CHAND DAGA : The question is how to organise this labour.

इन्होंने बताया कि इन मजदूरों को किस तरह से आर्गनाइज किया जाए। मेरा सुझाव है कि सरकार की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा फंड होना चाहिए। दो-तीन-पांच करोड़ का फंड होना चाहिए, जिसकी सहायता से इनको आर्गनाइज किया जाए। जो लोग इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनको धनराशि दी जाए, उनको प्रोटक्शन दिया जाए, उनको काम करने का अवसर दिया जाए। कई लोग इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। अच्छी-अच्छी बातें सब करते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। शोषण करने वाली क्लास बड़ी होशियार है। आज अगर काम करने वाली मशीनरी के दिमाग में यह बात आ जाए कि हमको गरीबों की तरफ जाना है तो काम हो सकता है।

इस पर काफी डिसक्शन हो चुका है। कल आपने एक पार्ट अदा किया था। मैं चाहता हूं कि इस बारे में भी आप कुछ कहें।

Yesterday, you played a very important role.

आप गरीबों की तरफ बहुत ज्यादा देखते हैं। किस तरह से यह होगा, इसके बारे में बताइए।

We have discussed this subject so many times.

सारी पार्टियों को मिलकर कोई नया लेजिस्लेशन बनाकर इस समस्या को हल करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष

महोदय, मैं श्री रामस्वरूप राम जी का आभारी हूं, जिन्होंने खेतीहर मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा उठाने का अवसर दिया। खेतीहर मजदूर वे लोग हैं जो अक्सर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों से रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर सफर करते हैं। ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि वे बिना टिकट यात्रा कर रहे होंगे इसलिए ऊपर बैठे रहते हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब भी चैकिंग हुई है तो अक्सर यही पाया गया है कि सभी लोग जो ऊपर बैठे रहते हैं, टिकट लेकर सफर करते हैं। इसका कारण यह है कि जो सफेद पोश लोग सैकण्ड क्लास डिब्बे में सफर करते हैं, वे उन्हें बैठने नहीं देते। इन लोगों को निम्न समझा जाता है इसलिए उन्होंने ऊपर बैठने की जगह बना ली है। दूसरी बात यह है कि रेल मंत्रालय भी उनका ख्याल नहीं करता। सीज़न में जब खेतीहर मजदूर आप्रावास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से जाते हैं और पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती करते हैं तो अक्सर यही कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा की ज्यादा खेती हुई। वास्तव में ये लोग ही वहां जाकर खेती करते हैं। वे आसानी से जा सकें, इसकी भी आपकी तरफ से कोई सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे रेल विभाग को यह सलाह दें कि जब इस तरह का सीजन हो तो विशेष सवारी गाड़ियां चलाने की व्यवस्था करें।

खेतीहर मजदूर दो प्रकार के हैं। एक तो जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है और दूसरे वे जिनके पास एक-डेढ़ एकड़ जमीन है, उनको भी खेतीहर मजदूर ही कहा जाता है। वे साल भर तक अपनी जीविका नहीं चला सकते। इसीलिए, दोनों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए जो कानून बनाएगी उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर लेबर वैलफेयर आफिसर हर जिले में नियुक्त किए जायें ताकि जो कानून बने हुए हैं, उनकी देख-रेख करने वाला कोई हो सके। आपने मिनिमम वेजेस मुकर्रर कर दी है लेकिन वह भी अभी तक कहीं नहीं मिलती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां के ज्यादातर खेतीहर मजदूर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती करने के लिए जाते हैं। इसलिए, आप एग्रीकल्चर लेबर आफिसर हर जगह नियुक्त करें ताकि वे उनको सुविधा दे सकें। जैसा कि श्री रामस्वरूप राम जी ने कहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन, केन्द्र सरकार को चाहिए कि एग्रीकल्चर लेबर कमीशन बनाए। वह कमीशन दस बरस वाला नहीं बल्कि 6 महीने वाला होना चाहिए।.....(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बट्टे खाते में डालना हो, तो कमीशन बनाया जाए।

श्री अशफाक हुसैन : आपको मालूम है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सेंट्रल लेबर आफिस बहुत दिनों से काम कर रहा है। पहले वह खदानों में मजदूरों को भर्ती करता था परन्तु आजकल उसका दफ्तर खाली पड़ा हुआ है। वहां कोई खास काम नहीं हुआ है। उसको वाइंड-अप करने का प्रोसेस चल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप एक पायलट प्रोजेक्ट गोरखपुर में बनायें जो इस्टर्न यू०पी० के एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनकी वैलफेयर स्कीम्स को तजुर्बे के तौर पर चलाए ताकि बच्चों की पढ़ाई, दवाई आदि की व्यवस्था हो सके। मैं यह भी मांग करूंगा कि जिस तरह से एक विशेष वजीफा शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए मंजूर किया है, उसी प्रकार एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए भी होना चाहिए जिससे उन्हें कुछ सुविधा प्राप्त हो सके।

18.00 hrs.

एग्रीकल्चर लेबर के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था आज कोई नहीं है। वह होनी चाहिए।

थिरैशर पर काम करते वक्त कई एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनकी चर्चा अभी की गई है। इस वास्ते इनका बीमा कराने की व्यवस्था थिरेशर के मालिकान पर डाली जानी चाहिए। तभी उनको इन पर काम करने के लिए कहा जाना चाहिए जब

थिरेशर का जो मालिक है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो और वह एग्रीकल्चर लेबर के बीमे के पैसे भी अदा करे। एग्रीकल्चर लेबर यह पैसा नहीं दे सकती है। उसका हाथ पैर कट जाता है तो उसको बीमा कम्पनी से कम्पैसेशन मिलनी चाहिए।

कोडियन साहब ने सुझाव दिया है कि एग्रीकल्चर लेबर के लिए एक व्यापक बिल लाया जाना चाहिये। आपने इसका वादा भी तीन साल पहले किया था। मैं चाहता हूं कि अगले सत्र में इसको आप जरूर लायें। चित्त वसु साहब ने भी एक बिल का खाका तैयार किया है और अगर वह वैलट में आ गया तो उस पर भी बहस होगी। इस खाके को तैयार करके उन्होंने आपकी बहुत मदद की है। उससे आप फायदा उठायें और एक व्यापक बिल पेश करें और उसको पास करवायें।

यही चन्द बातें खासतौर से मुझे कहनी थीं। घंटी बजने से पहले ही मैं अपनी बात खत्म करना चाहता था और मैंने कर दी है।

श्री बनवारी लाल बेरवा (टौंक) : यहां पर श्री रामस्वरूप राम ने जो मुद्दा उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह किसी एक क्षेत्र का नहीं, किसी एक प्रान्त का नहीं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र से संबंध रखता है और सम्पूर्ण देश के एक विशेष वर्ग से सम्बन्ध रखता है। खेतीहर मजदूरों की संख्या 24 करोड़ बताई जाती है। यह बहुत आर्गेनाइज्ड लेबर नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि यह जो फिगर है यह बिल्कुल सही है। लेकिन यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इससे कम इकको संख्या नहीं है। इस वास्ते एक बहुत बड़ी जनसंख्या का यह मसला है, बहुत बड़ी आबादी का यह मसला है। चार तरह से खेतीहर मजदूर देश में काम करते हैं, भागीदारी के तौर पर काम करते हैं, पट्टेदारी के तौर पर काम करते हैं, बंधवा मजदूर के तौर पर काम करते हैं, दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करते हैं। इन चार तरीकों से जो काम करने वाले लोग हैं ये निश्चय ही बहुत गरीब हैं। उनके पास साधन नहीं है। अपनी जो थोड़ी सी जमीन उनके पास अगर है तो उससे वे अपना तथा अपने बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, आजीविका नहीं चला सकते हैं। आजीविका को चलाने के लिए उनको जमींदार की जमीन के ऊपर या बड़े जागीरदार की जमीन के ऊपर या जो बहुत ज्यादा जमीन के मालिक हैं, उनकी जमीन के ऊपर जाकर काम करना पड़ता है फिर चाहे पट्टेदारी के आधार पर हो या दैनिक मजदूर के तौर पर हो या किसी भी तरह से हो। इनको बहुत सख्त काम करना पड़ता है। अभी जो माननीय सदस्य बोले हैं इन्होंने इनके प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई है। खेतों पर काम करने के लिए जो लोग इनको पैसा देते हैं वे शोषक के तौर पर इनसे काम लेते हैं, बहुत बारीकी से इनके काम को सुपरवाइज करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम लेकर कम से कम पैसे की अदायगी इनको करें। भागीदारी या पट्टेदारी पर जो काम करते हैं उनका कुछ इंटरेस्ट क्रियेट हो जाता है और मेहनत करने में उनका अपना फायदा भी होता है लेकिन जिन से दिहाड़ी के तौर पर काम लिया जाता है वे अगर एक दिन भी गैरहाजिर हो जाते हैं और अगर उनको पांच रुपये के हिसाब से मजदूरी दी जाती है तो दो तीन गुना मजदूरी उनके हिसाब में से काट ली जाती है। उसकी मजदूरी काटेगा तो जितनी मजदूरी तय की है उसकी आधी काट लेता है। और बंधुआ मजदूर का यह हाल है कि अगर उसको रुपया दे दिया तो पूरी जिन्दगी उसको ब्याज ही देना पड़ता है। दैनिक मजदूरी वाले को जमींदार किसी वक्त भी भगा सकता है। तो एक तरफ उनसे कस कर काम लिया जाता है और दूसरी तरफ उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। मिनिमम वेजेज उनको कहीं नहीं मिलती। जहां थोड़ा बहुत जनजागरण हैं वहां तो वह अपना हक ले लेते हैं, लेकिन सुदूर गांवों में 4,5 रु० रोज ही मजदूरी के मिलते हैं और वह भी स्त्री और पुरुष की मजदूरी में भेदभाव रहता है। इस तरह बहुत बड़े पैमाने पर उनका शोषण हो रहा है। जो इनकी तादाद बताई गई है उसमें ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गूजर, मुसलमान आदि सभी प्रकार के लोग

हैं। तो यह सवाल किसी जाति या धर्म या किसी विशेष वर्ग का मसला नहीं है बल्कि पूरे समाज का मसला है। जो जमीनें उनको अलाट हुई हैं, चाहे किसी भी नियम के अधीन दी गई हों, वहां पानी और बिजली की व्यवस्था की जाय। उनके पास श्रम है लेकिन उसका पूरा उपयोग इन चीजों के अभाव में नहीं कर पाते हैं। जो भी मजदूर हैं उनके पास इतनी जमीन तो है नहीं कि पूरे साल काम कर सकें, 6, 7 महीने वह बेकार रहते हैं इसलिए ड्राउट प्रौन एरिया प्रोगाम में जो काम किया गया है उसको इफेक्टिव तौर से किया जाना चाहिये ताकि उनको काम मिलता रहे। मंत्री जी बिल लायें अच्छी बात है, आप कृषि सहकारी समितियां बनायें, लेकिन मजदूर सहकारी समितियां बनाकर उनको उचित वेजेज दिलायें तथा अन्य दूसरे काम धन्धे भी सोसाइटीज के जरिये दिलाये जायें तो अच्छा रहेगा। हम लोग यहां कानून बना देते हैं लेकिन उसको इमप्लीमेंट करने वाली एजेन्सीज परवाह नहीं करती हैं। और करती भी हैं तो वैस्टेड इंटरेस्ट क्रीएट कर लेते हैं, जिससे उन्हें बचाया जाय। अन्यथा होता यह है कि जो सहायता हम देना भी चाहते हैं उसका लाभ दूसरे उठा ले जाते हैं और गरीब मजदूरों को नहीं मिलता। इसलिये ऐसी एजेन्सी होनी चाहिये जो उन पर अंकुश रखे। खेतिहर मजदूरों में ज़्यादातर हरिजन, आदिवासी लोग ही हैं जिनमें अज्ञान और अशिक्षा काफी है।

उनको उठाने के लिए हमें जबर्दस्त गंभीरता-पूर्वक कदम उठाने पड़ेंगे और इफैक्टिली चलना पड़ेगा नहीं तो उद्धार नहीं होगा। एक माननीया सदस्या ने कहा था कि उनके मकानात कच्चे होते हैं और अच्छे नहीं रह सकते हैं। मेरे इलाके में बाढ़ की एक ही चपेट में उनके कच्चे मकान बह गये और उनकी पूरी जिन्दगी का सब कुछ खत्म हो गया। मेरा सुझाव है कि सरकारी तौर पर उनको ईंट और चूना उपलब्ध कराया जाये ताकि वह खुद अपनी मजदूरी से मकान बना लें और आसान किश्तों से उनसे पैसा वापिस लिया जाये ताकि उनके मकान की व्यवस्था हो जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Should you not conclude ? So many other Members from your party want to speak. Why, are you sometimes selfish ? When I request you to complete your speech, you must kindly cooperate with the Chair.

Otherwise, I may not be able to call other Members from your party. How can I call all of you ?

श्री बनवारी लाल बेरवा : मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करता हूं।

शिक्षा वाली बात के लिए इफैक्टिव कदम उठाने पड़ेंगे। वह चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़कर काम पर लगें और पूरे परिवार को खिला सकें। सरकार को चाहिये कि उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए वजीफे दिये जायें ताकि वह पढ़ सकें और काम कर सकें।

उनके लिये दवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए और उनकी बस्तियों में चिकित्सालय भी होने चाहियें।

जो बच्चे पढ़-लिखकर बड़े हो गए हैं, 10, 12 जमात पढ़ गए हैं, वह अपने बच्चों को नौकरी में लगाना चाहते हैं। पढ़ लिखकर वह अपने कारो-बार और धन्धे से भी गये और नौकरी उनको नहीं मिलती है, इससे वे निराश हो जाते हैं। मेरा कहना है कि पायर्टी पर उनको शिक्षा दिलायें और नौकरी में भी उनको स्थान दिलाने की कृपा करें।

मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जिस एग्री-कल्चर बिल की बात की गई है, उसको वह अवश्य लाने की कृपा करें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Chitta Basu.

SHRI CHITTA BASU : I shall not make a long speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let it be a historic speech within five minutes.

SHRI CHITTA BASU : I tell you that I will not make a long speech.

Sir, there are many other occasions when I can take the opportunity of going into details about the agricultural workers of our country. Their number has exceeded sixty million according to the latest available figures. This is the figure which I quote from the replies given by the Ministry of Rural Development. The central point is : shall we have a Central legislation regarding the agricultural workers of our country ?

18.14 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

I think constitutionally, the Central Government, this Parliament, has got this right because labour is a Concurrent Subject. Therefore, this Parliament is within its competence to frame a law regarding agricultural workers.

This is not only a fact but, I think, the hon. Minister will also agree with me and confirm that our Government has also adopted the I.L.O. Convention No. 141. This makes it clear that the agricultural workers, share croppers, rural artisans can be organised on the basis of the Trade Unions Act.

Our Government, I am pleased to say, has accepted and adopted that convention. Therefore, once the Government has adopted that convention of ILO, it is necessary for the Government to make suitable legislation to give effect to that convention. Therefore, Sir, the immediate necessity is to legislate on the agricultural workers of our country.

Sir, what has been the history of it ? This move is not the move of a few years or a few months. You may lay all the blame on the Janata Party but if they claim certain credit then you should have the courage to accept the good things done by them. Sir, it is because of the initiative of the Labour Minister of that time that a committee on rural un-rest was constituted in 1979 and under that committee there were several sub-committees. One of the sub-committee was to prepare a draft for a suitable legislation for the agricultural workers.

I am happy to say that I had the opportunity of working in that sub-committee. The sub-committee did not only take evidence of other organisations but also toured different States and had the opportunity of talking to the Labour Ministers of different States. It came to the conclusion that there should be a legislation and a draft was prepared. I am happy to inform the House that the standing committee—the whole committee—approved of that draft and in that meeting of the standing committee which was being presided over by Shri Anjiah, the then Minister of Labour, he made the promise that in the next Session of Parliament Government will introduce the Bill. Uptill now that Bill has not been introduced.

Now, if you permit me I would only say that there is lack of political will and this instance has been given by no less a person than Mr. Bhagwati, the President of the INTUC. He writes—this is the book that he has written—in the book that one day he had been to Yojana Bhavan, New Delhi to meet Mr. Narayan Datt Tiwari who was then the Minister of Labour and Employment. During the course of his formal talks regarding agricultural workers Bill Shri Tiwari told him that, because his pre-occupation in the Planning Ministry he has hardly any time left to look after the affairs of the Labour Ministry and so he had entrusted it Shrimati Ram Dulari Sinha, State Minister of Labour to look after all the affairs of the Labour Ministry and that it was advisable for us to talk in this connection with Shrimati Ram Dulari Sinha.

MR. CHAIRMAN : Why do you want to read all this ?

SHRI CHITTA BASU : To show lack of political will. I will not read. Then Shrimati Sinha said that she knew nothing about that Bill. Nothing is there in the record and in disgust Shri Bhagwati left the office.

Sir, subsequently on 26th April, 1982 Shri Bhagwat Jha Azad was kind enough to reply suggesting that a working group has been set-up and he also informed that the working group could not come to a consensus. This, I think, is the exact position.

Is it necessary to have the consensus from all the Chief Ministers for bringing forward or introducing a legislation on labour ? Did all the Chief Ministers agree when the Government brought forward the Bill for the amendment to the Industrial Disputes Act ? Let him answer. Did not several State Governments oppose it ? The Kerala State Government opposed it at that time. The West Bengal Government opposed the introduction of the Bill seeking amendments to the Industrial Disputes Act. In spite of their opposition, you introduced the Bill. You got it passed by your brute majority. Even on the question of payment of minimum wages for which an amendment to the Act was brought forward in this House, there was consensus among the Chief Ministers of the country. Several Chief Ministers opposed it, but in spite of that, you introduced the Bill and got it passed and you have now enforced it. Now, you come and say that unless there is unanimity on this question by all the Chief Ministers, the Parliament would not be able to consider this. It is said that Parliament has become to a state of paralysis. Parliament is not going to be a paralytic body. Parliament has got its own right. Labour is a concurrent subject. Parliament has got the competence to make a legislation of that nature and I also mentioned about ILO Convention No. 141. They have said so. Now, I would like to ask you that you may give a specific assurance today on the floor of the House that the Government will introduce a Bill on the first day of the next Session of the Parliament. I think that the Members of Parliament must assert their rights. If the Members of Parliament do not assert their rights I appeal to you, Sir, that irrespective of political affiliations, they should assert their right that the Parliament has got a right to make legislation on this particular Bill. We must make legislation to that effect. Therefore, I want that while the Minister of Labour replies, he may make a categorical assurance on this suggestion also. Thank you.

श्री हीरा लाल आर० परमार (पटना) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री राम स्वरूप राम, द्वारा उठाई गई खेत मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा करने का सदन में मौका दिया है, मैं उनका इसके लिए आभारी हूं।

यह बात सही है कि आजादी प्राप्त करने के बाद देश में हर क्षेत्र में तरक्की हुई है और लोगों ने उसका फायदा उठाया है। आजादी के बाद जिसने गंवाया है, वह खेत मजदूर है। हमारे देश की खेती में प्रगति हुई, खेती में आधुनिकीकरण आया, पहले बैलों से खेत जोता जाता था, अब ट्रैक्टर आ गए हैं, कटाई मशीनों से होने लगी है। पहले सिंचाई कुओं से होती थी, अब ट्यूबवैल आ गए हैं, नहरें आ गई हैं। खेतिहर मजदूरों को छः महीने की रोजी-रोटी मिलती थी, लेकिन अब डेढ़ महीने की भी नहीं मिलती है। इन समस्याओं का शासन ने अब तक कोई सुधार नहीं किया है। मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि हमारे देश में गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट आया। आदमी सोना कहीं से भी खरीद सकता है। फिर सुनारों के लिए योजना बनाई गई, इस एक्ट के आधार पर उनको रोजी-रोटी देने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कानून बनाया और उनको सुविधायें दीं। देहातों में पशुओं के चरने के लिए स्पेशल जमीन रखी गई है, लेकिन इंसानों के जिए आज किसी ने नहीं सोचा। देहातों में समाजवादी समाज की रचना का ढांचा हम लाने की बात कर रहे हैं।

पहले देहातों में जो सहकारी भावना थी—प्रजापति (कुम्हार) किसान को मट्टी के बर्तन बनाकर देता था तो बदले में किसान उसको अनाज देता था, कार्पेन्टर लकड़ी का काम करके देता था, बुनकर कपड़े बनाकर देता था, खेत मजदूर किसान के खेत में काम करते थे और बदले में किसान सबको अनाज देता था, इस तरह से सब सुखी थे। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है सब बेकार होते जा रहे हैं, खेत मजदूर बेकार हो गए हैं, बिजली और दूसरी सुविधाओं की वजह से उनको काम नहीं मिल रहा है। सरकार ने उनके लिये मिनिमम-वेज का कानून बनाया, हर राज्य में मजदूरों को 8 या 9 या 10 रुपये दिये जाते हैं, सरकार सबके लिये उस कानून को लागू करना चाहती है, लेकिन खुद सरकार उस पर अमल नहीं करती है। जहां-जहां सूखा पड़ता है, वहां सरकार की तरफ़ से राहत कार्य खोले जाते हैं वहां पर

5 या 6 रुपये रोज दिये जाते हैं। जब सरकार खुद उस पर अमल नहीं करती तो वह कैसे उम्मीद कर सकती है कि दूसरे उस पर अमल करेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और वहां भी मिनिमम वेज दी जाय।

देहातों में 40 प्रतिशत किसान हैं और आज जो सुविधा हम अनाज के दाम बढ़ाकर किसानों को दे रहे हैं उसकी यह हालत है कि हम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को देखकर गेहूं के भाव तय करते हैं। हमारे गुजरात में यह हालत है कि एक फसल में 6 दफा पानी देना पड़ता है, 600 रुपया बिजली पर लग जाता है, 100 रुपये का फर्टिलाइजर लग जाता है, उसके बाद खेत मजदूद की मजदूरी देनी पड़ती है इससे किसान को पैदावार बहुत मंहगी पड़ती है और इसका प्रभाव खेत मजदूरों पर पड़ता है, क्योंकि दूसरे कामों में वह कमी नहीं कर सकता। आज हमारे मजदूर बेकार होते जा रहे हैं।

हमने बीस सूत्री कार्यक्रम के आधार पर गांवों में आवास की योजना बनाई है जिसमें तीन से साढ़े चार हजार रुपये हरेक किसान-मजदूर के आवास के लिए रखे हैं। मैं, सभापति महोदय, खासतौर से मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ केन्द्रित करना चाहता हूं। आज कोई मध्यम दर्जे का अधिकारी या मध्यम दर्जे का बिजनेस-मैन चार कमरे की कोठी बनाता है तो उस पर एक लाख रुपया लगता है, उसके संडास और बाथ पर 15 हजार रुपया लगता है, लेकिन किसान-मजदूर की झोंपड़ी के लिए सिर्फ 3 से साढ़े चार हजार रुपये लगाना चाहते हैं, कम से कम उनके संडास और बाथ के बराबर तो मकान बनायें। आज 450 रुपये की 1 हजार ईंटें मिलती हैं, 70 रुपये बोरे में सीमेंट मिलता है, 30 रुपया रोज कारपेन्टर लेता है—आप बतलाइये कैसे तीन हजार रुपये में मकान बन जायगा ? बीस सूत्री कार्यक्रय के अधीन आवास की जो योजना आपने बनाई है उस पर कैसे अमल होगा ?

देहातों में गरीबों के साथ जो छुआछूत होता है, सिर पर मैला ढोने की बात है—देहात की पंचायत उसको 50 या 60 रुपया महीना देती है। कोई दूसरा आदमी उस काम को करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी हम उसको बहुत थोड़ा पे करते हैं। इसमें मिनिमम वेज भी नहीं है, अगर मिनिमम वेज भी लगाया जाय तो उसको 200 रुपये देने पड़ेंगे। हम तो यह कहते है कि अगर कोई दूसरा करे तो उसको हजार रुपए भी देने को तैयार हैं, लेकिन कोई उसको करना नहीं चाहता, जो करता है उसको आधा भी देने को तैयार नहीं हैं। यह ठीक बात नहीं है।

हमारे देश में 33 प्रतिशत गरीब लोग हैं, खेत मजदूर हैं तो हम विकास की जो योजनायें बनाते हैं उसका तीसरा हिस्सा तो उसको देना ही चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा उसकी तरक्की नहीं होगी।

आपने जो टाइम दिया है उसके लिए आपका आभार मानता हूं और श्री रामस्वरूप राम जी का भी आभार मानता हूं वह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज सदन के विचार के लिए लाए।

SHRI NITYANANDA MISRA (Bolangir) : Sir, my thoughts go towards the deplorable condition of the agricultural labourers of the country. Most of them are below the poverty-line. Without any employment, they have been driven to poverty and are suffering. That is because of the fact that there is something basically and fundamentally wrong in our economic planning. Our human resource is the greatest asset that we have. Therefore, our entire planning should have been employment-oriented, so that the vast man-power in our country could have been provided with employment ; and that would have been our foremost national objective, and our important purpose. But we find that though there has been economic growth, though we have prospered, our national wealth has gone up, the employment that we have provided to our people is not much.

There are millions of people who are unemployed ; there are millions of hands which have got the capability and the willingness to work ; but because there is no employment opportunity ; and that too, in the rural sector, that also in the agricultural sector, they do not get the means of livelihood. Even the barest of subsistence is not available to them.

Another imbalance that we find in our economy is that our rural sector is not getting the emphasis and the primacy that it should get, as a result of which the investment of the natural resources are on the urban sector and on industries. But more of the resources of the nation are not being invested in the rural sector, or in the agricultural sector as a result of which in the villages there is not much of economic activity, or agricultural activity or activity in the field of cottage industries and small scale industries, as a result of which there is no employment in the village. The agricultural sector terribly suffers because of that.

We have legislation, and we have fixed our minimum wages. And there is also an agency to enforce this minimum wage. But, unfortunately, the situation is such that we have got so much of manpower, so many labourers and less of employment, as a result of which this minimum wage remains only on paper, and is not actually implemented in practice, because in the rural sector, agricultural people get employment and work only for 4 to 6 months a year ; and the rest of the year they do not have any work. There is no other activity in which they can participate, so that they can earn a decent living. Therefore, with the remuneration that they get only for six months in a year during the agricultural season, they manage the whole of the year. Because the volume of employment is less and the number of persons willing to work is more, the minimum wage is not being enforced in that region.

Take, for example, the weavers we have got in our country. We have got nearly 10 million weavers ; but they face competition from the big textile mills to such a great extent that the handlooms do not provide them with sufficient amount of remuneration or wage—even below the minimum wage that has been assured to our people. So, unless the entire structure of economy changes, and the volume of employment changes, our agricultural people in the rural sector will not get justice. Even through legislation, they cannot get justice, because though there will be a law ensuring minimum wages, it will not be made applicable.

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं। लेकिन फारवर्ड ब्लाक के नेता श्री चित्त बसु जी की इस बात का विरोध करता हूं कि इसमें लेक आफ पालिटिकल बिल है। मैं इस बात का घोर विरोध करता हूं। आपको मालूम है कि सन् 1975 में सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने बीस सूत्री कार्यक्रम में लैंड लैस लेबरर एग्रीकल्चर लेबरर और बाउंडेड लेबरर की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। इनकी आर्थिक उन्नति के लिए उन्होंने सबसे पहले प्रयत्न किया है। इसलिए यह जो सी० पी० एम०, लोकदल और फारवर्ड ब्लाक के लोग जो बातें करते हैं, ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए हैं। इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। ये सब फर्जी लोग हैं। इनके दिमाग में गरीब के लिए कोई हमदर्दी नहीं है।

श्री राजेश कुमार सिंह : चरण सिंह जी ने इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया था।

श्री गिरधारी लाल व्यास : चरण सिंह जी क्या ध्यान देंगे जिन्होंने गरीबों को वोट नहीं देने दिया। पोलिंग स्टेशन अपने कब्जे में करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स लोगों को वोट नहीं देने दिया। इन्होंने बड़े जमींदारों, राजा-महाराजाओं की बात भले ही की हो, लेकिन लैण्ड लैस लेबरर की बात इन्होंने कभी नहीं की। इनके दिमाग में गरीबों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। (**व्यवधान**)

आप लोगों ने वैस्ट बंगाल में जिस तरह से गरीबों की हालत की है, उसको सब जानते हैं।

गरीबों से जमीनें छीनकर अपने पार्टी कैडर के लोगों को दी है। एन०आर०ई०पी० के द्वारा भी अपनी पार्टी कैडर के लोगों को ही लाभ पहुंचाया है। लैण्डलैस लेबरर के बारे में आपने कोई कार्यवाही नहीं की। आपने हमेशा सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग करने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर लेबरर, लैण्ड लैस लेबरर को आगे बढ़ाने की कोई कार्यवाही आपने नहीं की है। ये लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि 10 लाख एकड़ जमीन गरीबों में बांट दी है। आप एक कमेटी बिठाकर जांच करवाइए। आपको पता चलेगा कि यह जमीन इन्होंने अपनी पार्टी कैडर के लोगों को दी है या गरीब लोगों को दी है? ये लोग फर्जी तरीके से लोगों को दबाकर, गरीबों का गला घोंट कर इस तरह की बातें करते हैं।

अन्त में मैं दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। (**व्यवधान**) फेमिन और फ्लड के बारे में मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। मिनिमम वेजेज एक्ट मुकर्रर होना चाहिए। लोगों को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए।

जिन गरीब लोगों का मशीनरी से एक्सीडेंट हो जाता है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। एग्रीकल्चरल लेबर को भी कंपनसेशन एक्ट के तहत लाइए, तब जाकर उनकी कुछ व्यवस्था हो सकेगी। आपने जो माईका, सोप-स्टोन और अन्य प्रकार के लोगों के लिए वेलफेयर फण्ड कायम किया है जिसके अन्तर्गत उन्हें मेडीकल रीक्रिएशन और एजुकेशन की फेसिलिटी मिलती है, उसी प्रकार इन खेतीहर मजदूरों को भी सुविधायें मिलनी चाहिए। कुलक्स के ऊपर भी सैस लगाइए क्योंकि वे लाखों रुपये कमाते हैं। उनसे इतनी आमदनी कीजिए जिससे इन 26 करोड़ लोगों को एजुकेशन मेडीकल और रि-क्रिएशन की फैसिलिटी मिल सके। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं बोलना तो बहुत चाहता था लेकिन आप इजाजत नहीं दे रहे हैं। आपने जो सीलिंग का कानून बनाया हुआ है, उसका इम्पलीमेंटेशन ठीक प्रकार से नहीं हुआ। जागीरदारों, महाराजाओं और उनके प्रतिनिधियों को वहां पर लगा देते हैं जिससे इस प्रकार के कानून इम्पलीमेंट नहीं होते हैं। हमारी नेता श्रीमती गांधी की मन्शा यह है कि गरीबों को जमीन और रोज़ी-रोटी मिले। इसलिए, आप इम्पलीमेंटेशन मशीनरी को ठीक बनाने की कोशिश कीजिए।

18.42 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, खेतीहर मजदूरों के बारे में अभी व्यास जी ने अपने विचार प्रकट किए है और मैं भी अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। यह तो स्पष्ट है कि खेतीहर मज़दूरों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। उनकी रक्षा के लिए एक लेजिस्लेशन लाने की आवश्यकता है। सभी मित्रों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इन मज़दूरों की कोई स्ट्रांग यूनियन नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब यूनियन ही नहीं है तो स्ट्रांग कैसे होंगे?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : राजस्थान में और दूसरे प्रांतों में यूनियन तो है, लेकिन ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है। कहने का मतलब यह है कि जब तक मज़दूरों की यूनियन ठीक प्रकार से फंक्शन नहीं करती तब तक इनके अधिकारों के बारे में संघर्ष नहीं किया जा सकता। इसलिए, यह बहुत ही आवश्यक है जितनी भी पार्टियां हैं चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, सभी को यह सोचना चाहिए कि जिस प्रकार फैक्टरीज़ में काम करने वालों की यूनियन है उसी प्रकार इनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी यूनियन होनी चाहिए।

प्रथम, द्वितीय आदि योजनाओं में भूमि सुधारों पर बराबर जोर दिया जाता रहा है और कहा जाता रहा है कि स्ट्रांग स्टेप्स इस दिशा में उठाए जाने चाहिये। लेकिन वे उठाये नहीं गये। सीलिंग का कानून भी विभिन्न प्रान्तों में बना।

उसके अन्तर्गत भी भूमि प्राप्त करके इन मजदूरों में कुछ बांटी गई। लेकिन वह कैसी भूमि थी इसको भी आप देखें। मैं राजस्थान की बात कहता हूं। वहां कानून बना। सीलिंग के बाहर जो जमीन आती थी इसको उसकी चायस पर छोड़ दिया गया कि वह कौन सी जमीन दे सकता था। उसने खराब से खराब ज़मीन दी। गरीब आदमी को अच्छी ज़मीन किस प्रकार से मिले इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारे मित्रों ने कहा कि अन इकौनौमिक होल्डिंग उसको मिली और यह ठीक बात है। इस कारण भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी संख्या बढ़ती चली गई है। मैं चाहता हूं कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून आप बनायें।

यह कहा जाता है कि मिनिमन वेज के बारे में जो कानून है उस पर अमल नही हो रहा है। व्यास जी अभी फैमिन का जिक्र भी कर रहे थे। राजस्थान के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कहा है कि मिनिमम वेज एक्ट इम्पलेमेंट किया जाना चाहिये और इस पर बहुत जोर दिया है। इसका इम्प्लेमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसकी एक वजह और भी है। राजस्थान की फाइनैंशियल पोजिशन मज़बूत नहीं है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र उसकी मदद करे।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि सैंट्रल लैजिस्लेशन आप जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करें।

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL) : Sir, by moving this Motion for discussion, the hon. Member Mr. Ramswaroop Ram has provided an opportunity to highlight the plight of the agricultural labour. As he said, during the course of the debate, the problem of rural labour or agricultural labour is a complex one. It is not a party problem and nobody should think in terms of party because it is a national problem and this problem should be considered and dealt with with all seriousness as a national problem. Out of total labour force today in the country, 90 per cent of the labour force is in the unorganised sector. I think hardly 10 to 11 per cent of the labour force is in the organised sector. One Member was right in pointing out that most of the labour which is in organised sector, is above the poverty line and most of the labour which is in the unorganised sector is below the poverty line. So, as Minister-in-Charge of Labour, I cannot claim that the plight of the agricultural labour or the labour which is in the unorganised sector is quite happy. I do not claim that. But the problem is colossal, because this is the problem of 90 per cent of the labour in the country. According to the 1981 census, 55.43 million is the agricultural labour, whereas in 1971 it was 47.49 million. The agricultural labour is increasing every year because of the increase in population. So, the pressure on land is increasing with the result that land holdings are becoming smaller and smaller. Now the situation in the rural areas is such that most of the lands have become uneconomic holdings. Even the so-called kulaks or landholders, whom we brand as landholders, they continue to be landholders so long as the seasonal condition is good. If the seasonal conditions are adverse, if there is a drought or famine, even those landholders owning 25 to 30 acres become agricultural labour and they go in search of labour.

Unfortunately, in our country nearly 70 per cent of the land is under dry land cultivation and hardly 25 to 30 per cent of the land is getting irrigation facilities. Out of every five years, on an average, only two years are good or average years and three years are very bad for agriculturists. This is the state of affairs of the people who are depending upon agriculture in the rural areas.

I agree that the agricultural or rural labour is unorganised, illiterate, ignorant and subject to exploitation. I also agree that it is being exploited to a great extent. The question is why the unorganised sector is not organised. Shri Chitta Basu or any other member cannot point his finger at me and ask why I am not organising them.

SHRI CHITTA BASU : It is our responsibility.

SHRI VEERENDRA PATIL : I am

coming to that point. I think all political parties have got their labour wings. There is hardly a political party in this country without a labour wing, because trade union has developed here on political lines. So, I want to ask why the leaders of political parties are not evincing interest in organising the unorganised sector.

SHRI M.M. LAWRENCE : We have done it in Kerala, Andhra Pradesh and West Bengal.

SHRI VEERENDRA PATIL : When I am replying to the debate, I am talking of the country as a whole. Neither Kerala, nor West Bengal, is the entire country. What about the other States ? I think even Shri Chitta Basu has admitted the fact that the trade unions are active only in the organised sector and not in the unorganised sector. This reason is very simple. While it is very easy to organise the organised sector, it is very difficult to organise the unorganised sector.

That is why the Government is taking all possible steps to organise or to create consciousness or to educate the rural labour or rural workers.

PROF. RUP CHAND PAL : How ?

SHRI VEERENDRA PATIL : There is a scheme which has been conceived of, I think, in the year 1980 or 1981—I do not have the figures now—to educate the rural workers and the proposal is to appoint the honorary organisers to educate the rural workers and according to that scheme...

SHRI P.K. KODIYAN : We are opposed to that scheme.

SHRI VEERENDRA PATIL : ... 415 blocks have been selected, and work has already been started in 224 out of these 415 blocks. But I must say, the result is not at all encouraging because it takes a long lime. Because they wanted to know what the Government has done to create consciousness among the rural labour or agricultural labour. I say that the Government is thinking of appointing organisers to educate the agricultural labour in the rural areas. (*Interruptions*). If you ask any question, I am prepared to reply after my main reply is over.

So far as minimum wages are concerned, Minimum Wages Act is there. It is a Central Act and according to that Act, the minimum wages are fixed not for agricultural labour only, but there are so many other employments also. There are nearly 238 employments which are in the Schedule and out of those 238 employments, agriculture is also the employment. So, in agriculture minimum wages are fixed. I must tell for the information of this honourable House that so far as fixing the minimum wages in the agricultural sector is concerned—I am not talking of other employments which are in the Schedule, but in most of the employments—the proper Government is the State Government. Even here, the minimum wages are being fixed only by the State Governments ; we are not competent to fix the minimum wages at all. We are only here to advise them, to supervise, to oversee the implementation of the Minimum Wages Act, but the implementation of the Minimum Wages Act in the agricultural sector is the responsibility of the State Governments.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : It is the responsibility of the State Governments.

SHRI VEERENDRA PATIL : Yes it is the responsibility of the State Governments, and our responsibility is only to the extent where we have under the Central Government some agricultural farm. That comes under the Central sphere where we fix the minimum wages, but fixing of minimum wages in the agricultural sector is the responsibility of the State Governments and so they are fixing the minimum wages. This point was discussed in the Labour Ministers' Conference, and the Labour Ministers in their Conference had taken a decision that minimum wages should be fixed or revised once in two years or at the rise of 50 points in the CPI, i.e., Consumer Price Index, whichever is earlier. We have got Advisory Boards in the Ministry and similarly we have requested the State Governments also to have Advisory Boards not only at the State level, but also at the district level and also at the taluk level, to have tripartite

committees to oversee the implementation of minimum wages in order to ensure that the Minimum Wages Act is properly implemented.

Sir, I may tell for the information of the House that so far as the Central Government is concerned, the Central Government had revised the minimum wages in the year 1982, and further revised the minimum wages because of the rise in the Consumer Price Index points again in the year 1982, and we are going to revise further because again the consumer price index has gone up. So, we have taken initiative to further revise the minimum wages. So far as the Central sphere is concerned, we have already taken the initiative, and we are going to finalise the proposal as early as possible.

19.00 hrs.

So far as the Sate Governments are concerned, we have been repeatedly writing to all the State Governments to revise the minimum wages, particularly in agricultural sector because this is one of the 20 Point Programme of the Government. So, I am happy to inform the House that almost all the State Governments have revised the minimum wage in the agricultural sector or for agricultural labour.

It is all right fixing and revising the minimum wage. But the question is about implementation or about the enforcement machinery. As the hon. Members are aware this is the work force which is scattered in rural areas. Almost every village has got agricultural labour. Without agricultural labour it is impossible to carry on agricultural operation. I must say here that the enforcement machinery or implementation machinery, I do not want to claim, is quite satisfactory in all the States. In certain States they have taken keen interest. They have evolved a machinery. They have appointed inspectors and they are taking all proper steps to see that minimum wages, whatever is fixed, they are paid to the workers and the Minimum Wages Act is implemented in letter and spirit. But there are some States where the implementation machinery or enforcement machinery is not adequate because they have appointed the local officers. They have appointed Tehsildars. They have Block Level Officers and they have asked Extension Officers at the block level to discharge duties of Inspectors so far as agricultural labour is concerned and implementation of the minimum wages is concerned. Therefore, I say, there are certain States which are implementing the Minimum Wages Act effectively and efficiently. There are certain States where the implementation machinery is lagging behind. It is not adequate. It has to be further strengthened. So, to all these State Governments we have been repeatedly requesting by issuing letters and even my predecessor had written personal letters to all the concerned Ministers and Chief Ministers to ensure the proper implementation of the Minimum Wages Act. Again I must say although it is the Central Government, implementation of this Act is the responsibility of the State Government.

SHRI M.M. LAWRENCE : Even most of the Chief Ministers of the Ruling Party, I know very well...

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : It is not a forum for dialogue.

SHRI M.M. LAWRENCE : What is wrong, after all ?

SHRI VEERENDRA PATIL : Hon. Member is saying that in certain States the Chief Minister is not interested or the State Government is not interested. It may be true to some extent. I do not dispute it. But have you got any solution ? Can you give me a suggestion ? Supposing a particular State Government is not taking active interest in implementing that, what is that I can do ?

श्री रामस्वरूप राम : चीफ़ मिनिस्टर्ज़ की कांफ्रेंस बुलाकर उसमें यह डिसक्स कीजिए ।

SHRI VEERENDRA PATIL : I have already told the Members that implementation of this Minimum Wages Act is being discussed periodically in the Labour Ministers Conference. So far I have not convened any meeting of the Chief Ministers to discuss Minimum Wages Act. But I said in certain States it is being implemented efficiently and in certain States it is not being implemented so efficiently and there is a

drawback. In certain States, it depends upon the condition also. What happens ? Not only we supervise, we oversee, not only we have got Advisory Boards for the Labour Ministry, periodically we are sending our team. We send our officers to different State Governments to visit different parts in the rural areas, to point out whether Minimum Wages Act is being properly implemented or not. They are also bringing periodical report to the Government of India. On the basis of that report if there are any deficiencies, we are bringing to the notice of the State Governments the deficiencies and requesting them to remove the deficiencies or to set right the deficiencies. Whatever is possible from the Government of India, we are doing our best to see that this Act is properly implemented.

SHRI P.K. KODIYAN : Has the hon. Minister suggested for setting up of Labour Department exclusively for the agriculture sector ?

SHRI VEERENDRA PATIL : We can suggest so many machineries. But what about the Finance ? They also require finance.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now only you have come to the point.

SHRI VEERENDRA PATIL : When we suggest that they must have adequate machinery to implement this Minimum Wages Act, some State Governments have approached the Government of India saying that they want to appoint inspectors for all Taluks and so many officials in the district-level. For that, they want financial assistance from the Government of India. In fact, from Orissa I have already received a proposal and it is under consideration. If I ask the State Government to take more interest, then they turn back and say, "If you provide finance, we are prepared to create machinery for implementation". This is the problem. I can ask them to have commission. I can ask them to have a separate labour officer for each district in order to oversee the implementation of the Minimum Wages Act. But the question is of finance.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (Guna) : The Labour Officer will make it self-financing !

SHRI VEERENRA PATIL : Regarding "self-finance", you know from where the finance is going to come.

So, these are the difficulties. There are several programmes for the agricultural labourers. I do not want to go into details. Similarly, there are several Acts. There are so many Acts : Minimum Wages Act ; Payment of Wages Act ; Equal Remuneration Act ; Debt Relief Act ; Land Ceiling Act ; Tenancy Act etc. There are so many Acts which are meant for the benefit of agricultural labourers.

Similarly, there are so many schemes for the welfare of agricultural labourers. I do not want to go into details of those schemes. Out of 20-point programme, I think, there are nearly 11 schemes which are going to benefit directly the agricultural labourers or the weaker sections who are mostly agricultural labourers in the rural area. The question is again about the implementation of these schemes.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : There you have got a different approach. These Acts are there. But these Acts cannot be applied in the case of agricultural labourers. Therefore, the suggestion is that there should be a single law incorporating all the important aspects of those laws to be applied in the case of agricultural labourers and workers.

MR. DEPUTY-SPEAKER : In that case, first you must bring a Constitutional amendment.

SHRI CHITTA BASU : Not necessary. I have introduced one Bill. If you have gone through my Bill, it will be clear to you.

(*Interruptions.*)

SHRI VEERENDRA PATIL : I do not agree with Mr. Chitta Basu when he says that these Acts are not applicable to the agricultural labourers.

SHRI CHITTA BASU : I do not say

that. You may declare these Acts to be applicable. But they cannot be applied.

SHRI VEERENDRA PATIL : They are applicable to agricultural labourers. I have not mentioned about the other Central Acts like Bonded Labour (Abolition) Act. Similarly, there is the Inter-state Migrant Labour Act. There is also the Contract Labour (Abolition) Act. These are all Central Acts.

श्री रामस्वरूप राम : एबसेन्टी लैंड लॉर्डस के पास हज़ारों-हज़ार एकड़ जमीन हैं। वे खुद खेती नहीं करते हैं। उनकी ज़मीन को सरकार टेक ओवर करने के लिए कोई कानून बनाए।

SHRI VEERENDRA PATIL : I will come to his point later on.

What I have said is so far as legislation is concerned, so far as laws are concerned, there is no dearth of laws. There are several laws. I was quoting Inter-State Migrant Labour Act ; Bonded Labour (Abolition) Act ; Contract Labour (Abolition) Act. There are so many Acts. So far as these Acts are concerned, again, the appropriate Government is the State Government.

Now, the position is that if the State Government takes a keen interest then we will find some result. If the State Government is not taking keen interest, then you may not find any result at all. For instance, one hon. Member mentioned about the bonded labour system. According to him, the number of bonded labourers in our country may be about 30 lakhs. But what we find after ascertaining from all the State Governments is that the number of bonded labourers so far is not more than one and a half lakhs. We have been repeatedly writing to all the State Governments to take steps vigorously to appoint vigilance cell at district level and at sub-divisional level to find out and identify the bonded labourers. I am receiving report from the State Government saying that in our State, the incidence of bonded labour is not at all there. Suppose the State Government makes a report in this way, what the Central Government can do ? The Central Government is there to help them. The Central Government is there to provide finance for them in order to liberate those bonded labourers and in order to rehabilitate those bonded labourers. Supposing, unfortunately, if a particular State Government does not take much interest, then it becomes very difficult for the Central Government to do anything in this matter.

Lastly, I refer to only one point and that was made out by almost all the Hon. Members and that is with regard to Central legislation for agricultural labour.

SHRI CHITTA BASU : If the policy is agreed, it becomes a right to agricultural labourers. That becomes a potent weapon. Unless you give us a weapon to fight, how can we fight ?

SHRI VEERENDRA PATIL : It appears that the Hon. Members who are advocatnig this Central legislation are under the impression that once this legislation is passed, it becomes an Act and then all the problems of agricultural labour would be solved.

PROF. RUP CHAND PAL : No. We did not say that.

SHRI CHITTA BASU : But that would provide an effective instrument. Let there be no wrong impression about that.

SHRI VEERENDRA PATIL : If we have a Central legislation for agricultural labour, it will be a Central legislation. But the implementation will be by the States.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Implementation will be of the States. The States should have the machinery. Only then they can implement it.

SHRI VEERENDRA PATIL : I can bring any number of Acts if the implementation is by the States. I can get any number of Bills passed here and after the Bills become Acts, if they are at the mercy of the State Governments for implementation and if the State Governments are not very enthusiastic about the implementation of such Acts, then what is the use of that ? That is the point I want to make out.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What Mr. Chitta Basu wanted to say is, according to

me, that they will insist on the State Government to implement it, if there is a Central Act.

PROF. RUP CHAND PAL : This was a unanimous recommendation by all parties. All parties in the Sub-Committee prepare the Central Legislation. We do not say that it will solve all the problems. The Central legislation will be helpful. It will be a model.

SHRI VEERENDRA PATIL : I am explaining the position. So far as the Central legislation is concerned, our Ministry has prepared a draft. It was sent to different interests concerned for comments and it was discussed in the Labour Ministers Conference also. But because this is a question of uniform legislation, the Labour Ministers were not unanimous on having a uniform legislation because conditions vary from State to State...

(*Interruptions*)

Even in a State, from area to area. So we want to have a uniform law for the entire country irrespective of the conditions that are prevailing in different parts, then it becomes difficult for them to implement. That was the view and that was the feeling that was voiced by the Labour Ministers Conference but there was no favourable ..

SHRI CHITTA BASU : The idea is the Central legislation can be a model legislation and the States also can have some legislation. Parliament should have some legislation.

SHRI VEERENDRA PATIL : I agree with Mr. Chitta Basu. He has made a good point. He says you have a model legislation and let the State Governments adopt it. Tomorrow I will have a model legislation and I will send this draft model legislation to all the State Governments with the request to adopt it.

SHRI CHITTA BASU : It is not that. You have got a Central Industrial Disputes Act, the Bombay Industrial Disputes Act and the West Bengal Industrial Disputes Act. Parliament should have a legislation.

SHRI VEERENDRA PATIL : Whatever it is, I am explaining the position.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You know agriculture is a State subject. Can the Central Government without consulting the State Government, bring in an Act here ? You tell me.

SHRI P.K. KODIYAN : There is a misunderstanding. The Hon. Minister said that the Central legislation will be a uniform legislation and it will be difficult to implement.

SHRI VEERENDRA PATIL : So far as the question of minimum wages are concerned, there cannot be minimum wages, uniform wages for the entire country. Wages are fixed by State Government. It will be different from region to region according to the nature of the work.

I agree with Mr. Kodiyan that minimum wages are not uniform throughout the country. In some States, the minimum wages are Rs. 6.50. In some States Rs. 8/-. In some States, it is Rs. 14 and Rs. 18/-. It is not uniform throughout the country.

श्री रामस्वरूप राम (गया) : काश्मीर में तो अभी यह तय ही नहीं हुआ है कि मिनिमम वेज क्या हो।

SHRI CHITTA BASU : The question is whether there should be a machinery to provide certain rights to the agricultural workers. We have suggested a tribunal, we have suggested that there should be minimum working hours, we have suggested certain other provisions also. The State Government can make certain modifications regarding wages.

AN HON. MEMBER : That is already there.

SHRI VEERENDRA PATIL : Let me explain the position. I am explaining the position and I will express my views with regard to the suggestions that have been made by hon. Members.

As I was saying, when the draft legis-

lation was placed before the Labour Ministers' Conference, there were divergent views, there was no unanimity, and it was decided to refer the matter to a Working Group. The Working Group also considered it; even in the Working Group there was no unanimity. What happened ultimately was that it was decided that, so far as legislation for agricultural labourers is concerned, this work should be left to the State Governments. So, we have written to all the State Governments that they should have a separate legislation for agricultural labour, and we have received some reports. So far as Kerala is concerned...

SHRI P.K. KODIYAN : The Central Government has gone back on its commitment.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let him first complete.

SHRI VEERENDRA PATIL : We have written to all the State Governments to take necessary steps to have a legislation exclusively for agricultural workers. I agree that Kerala has already got an Act for agricultural workers : I think, it was passed in 1974. The response from the different States, so far, has been like this. Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu have reported to us that they are considering the question of enacting a suitable State legislation for the purpose. Now if the House feels that, whatever may be the views or steps of different State Governments, here in Parliament we must have a Central legislation for agricultural labour, I have no objection. I am prepared to consider the whole matter, because after my predecessor gave an assurance to the House, he did all this exercise; he got the draft legislation placed before the Labour Ministers and when there was no unanimity, it was placed before a Working Group and when there was no unanimity in the Working Group also, ultimately it was decided, 'It is better to leave it to the State Governments ; let them have a legislation ; there is no point in having a Central legislation and thrusting that legislation on the State Governments who are not very enthusiastic about implementation ! This is the position.

MR. DEPUTY-SPEAKER : One point. You have been saying that you are going to bring in a very vivid and comprehensive legislation with regard to labour. Why can't you include the agricultural workers also in that labour legislation ?

SHRI VEERENDRA PATIL : A comprehensive legislation with regard to industrial relations...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Why not include agricultural workers also in that legislation ? You may consider this.

(*Interruptions*)

SHRI CHITTA BASU : This is exactly what the Sub Committee recommended.

MR. DEPUTY-SPEAKER : In that legislation, can't you bring in the agricultural workers also ?

SHRI VEERENDRA PATIL : I want to assure you and, through you, the entire House that, so far as agricultural labour is concerned, I have got an open mind and I am prepared to reconsider the whole matter ; if the hon. Members want to make any good suggestions, they can offer their suggestions and I am prepared to consider those suggestions also. I have only explained under what circumstances we did not pursue this matter. That was all I was explaining to the hon. Members. I have got an open mind and I am prepared to rcconsider. If the House feels or if the House directs me to reconsider, I have no objection, I am prepared.

I think, I have covered almost all the points.....

SHRI SURAJ BHAN (Ambala) : What about compensation in the case of accidents ? The hand is chopped off by the thresher.

SHRI VEERENDRA PATIL : Now I agree with the hon. Member that agricultural machines a being used more and more in agricultural operations. I think tractors are also being used. Threshers are also being used. The labourers who are operating these equipments or machines sometimes meet with accidents and they become dis-

abled or they are killed while operating these machines. For that I am told the Ministry of Agriculture are taking necessary steps to regulate the manufacture and use of power threshers and other machines. I think that is a matter which is under the active consideration of the Agriculture Ministry. So far as our Ministry is concerned, the Workmen's Compensation Act is there. It is for the State Government to extend this Act to agricultural labour. Nobody can prevent them. That is why I said that there are so many laws and if the State Government wants to extend these laws and give benefit to the agricultural labour, they are at liberty to do so. Again this is a matter for the State Governments to consider.

With these words, I thank the hon. Member who has moved this motion and provided an opportunity not only to the Government but also to the Members to focus the attention of the nation to the problems that the agricultural labour is facing.

———

19.22 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Employment of Children in Hazardous Jobs

MR DEPUTY-SPEAKER : We now go to the next item, Half-an-hour discussion.

Shri Madhavrao Scindia.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (Guna) : According to the ILO India has the largest child labour force in the world—16 1/2 million. I would like to quote from a report on child labour in industry given to the Indian Council for Child Welfare, describing the conditions in which these children ranging from the age of 3 to 15, work.

Bidi industry : Since the work of making bidis, was mainly done at the house, work places are extremely crowded, dark and dingy as the workers live in small congested areas situated in slums of the town. Being house work, there was no stipulation about the hours of work and the daily hours of work range between 10 to 12 hours a day, according to the survey made by the Labour Bureau in Tiruchirapally. The workers in general are very poor and hard pressed and have to work for longer hours to earn their livelihood, especially in view of the prevailing low wage rates. The children are forced to work in their homes on a wholetime basis and the overall poverty of the people in the area is responsible for such a high magnitude of child labour.

"A survey in Murshidabad, West Bengal revealed that 9% of these children between the ages of 10 to 14 had symptoms of chronic bronchitis and 10% were anaemic. According to the survey, there was reason to suspect a high incidence of tuberculosis brought on by the fact that the children started working at a tender age and had to put in long hours, in overcrowded rooms working in peculiar postures that prevents healthy development of their lungs."

"Brick kiln industry : The most common disease resulting from working at brick kilns is silicosis—a disease caused by inhaling quartzdust. Its symtom is breathlessness. The child workers are likely to be affected by this disease within 3 or 4 years of regular working at the brick kilns."

"Secondly, because of the restriction of blood supply to the lungs due to the disease, the children are subject to secondary infections like tuberculosis."

"Thirdly, among the child workers of brick kilns there are also cases of injuries to eyes and fingers."

"Glass bangle industry : The children are engaged in all sorts of hazardous jobs, involving handling of red hot glass, blowing making the lomes and cutting the unwanted portions of goods manufactured in the glass factories. Several children of tender age work in almost inhuman conditions with bandages and bone injuries, merely to earn a living. Workers suffer from eye diseases, asthma and bronchitis. The town of Firozabad has an exceptionally high incidence of TB."

Slate industry—an industry nearer home for me,